



अखिल भारत
हिन्दू महासभा का मुखपत्र

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता

वर्ष- 42 अंक-15

कल्पादि सम्वत् 1972949118

सम्पादक

मुन्ना कुमार शर्मा

दिनांक 27 जून से 03 जुलाई 2018 तक

द्वि.ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी से आषाढ़ कृष्ण पंचमी 2075 तक

वार्षिक शुल्क 150 रुपये

पृष्ठ संख्या 12

बेशर्मी तेरी
सदा...

पृष्ठ- 2

हमारे युवा
बनाएंगे..

पृष्ठ- 3

जानिए भोजन
में कैलोरी..

पृष्ठ- 4

स्वामी
विवेकानन्द..

पृष्ठ- 8

केवल नारों
से ही...

पृष्ठ- 12

- जनता मर रही है, सरकार योजना बनाने में है जुटी
- किसान का श्रम मूल्य
- धर्मान्तरण: कारण, भ्रम और असलियत
- परम सत्य के अन्वेषी परमहंस श्रीरामकृष्ण देव
- राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को क्षति

पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके, बोला अब नहीं करेंगे एलओसी पर फायरिंग

भारतीय सेना अपनी पूरी क्षमता से दुश्मन पर प्रहार करे—हिन्दू महासभा

● संवाददाता ●

रमजान के महीने में भारत ने जम्मू-कश्मीर में सैन्य ऑपरेशन पर रोक लगा रखी है लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा था। वह एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा था। जब भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो पाकिस्तान थर्रा उठा, पाकिस्तानी रेंजर्स ने फोन कर बीएसएफ से फायरिंग रोकने की गुजारिश की थी। अब उसने पेशकश की है कि वह २००३ के संघर्ष विराम समझौते को पूरी तरह मानेगा। उसकी ओर से कोई फायरिंग नहीं होगी। भारत ने उसकी पेशकश को स्वीकार कर लिया है। यह सहमति २०१६ के सर्जिकल **शेष पृष्ठ 11 पर**



७० सालों में संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षक सैनिकों में भारतीय हुए सबसे ज्यादा शहीद
भारतीय सेना के शांतिरक्षक सैनिकों को कोटि-कोटि नमन—हिन्दू महासभा

● संवाददाता ●

संयुक्त राष्ट्र के पिछले ७० सालों के विभिन्न शांति रक्षक अभियानों में भारत के सबसे अधिक शांतिरक्षक शहीद हुये हैं। संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में कर्तव्य निर्वहन के दौरान देश के १६३ शांतिरक्षकों को सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। इनमें सेना, पुलिस और असैन्य कर्मचारी भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक १९४८ से ३७३७ शांतिरक्षकों की जान गयी है जिसमें से १६३ भारत के हैं। यह आंकड़ा किसी भी देश के मुकाबले अधिक है। इस समय भारत संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षकों के मामले में योगदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस समय इसके ६६६३ शांतिरक्षक अर्बेई, साइप्रस, कांगो, हैती, लेबनान, मध्य पूर्व, दक्षिण सूडान और पश्चिमी सहारा में तैनात है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने जवानों, पुलिस इकाई गठित करने और दल के स्वामित्व वाले उपकरण के लिए ३० अप्रैल २०१८ को नौ करोड़ २० लाख अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया। संयुक्त राष्ट्र ने २६ मई अंतरराष्ट्रीय शांतिरक्षक दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और दुनिया भर के शांतिरक्षकों की सेवा और बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित **शेष पृष्ठ 10 पर**



है बेशर्मी! तेरी सदा ही जय

वो जमाना गया जब लोग शर्म, लिहाज, हया तथा संकोच रूपी गहने पहन संस्कारी कहलाना पसंद करते थे। नुकसान उठाकर भी अपनी इज्जत-आबरू की रक्षा करते हुए गुमनामी की जिंदगी व्यतीत करते हुए परमात्मा को प्यारे हो जाया करते थे। औरतों के लिये 'जिस घर में डोली गई है, उस घर से अर्थी निकले' के धर्म की पालना करना जरूरी करते थे। स्त्रियों का पहनावा ऐसा था कि हाथों से ऊपर सिर तक सारे अंग ढके होते थे। लम्बे-२ बाल रखना औरतों की सुंदरता की निशानी समझी जाती थी। परिवार के सभी सदस्य सुबह उठकर माता, पिता तथा बुजुर्गों के पांव छूकर आशीर्वाद लिया करते थे और उनकी आज्ञा पालन करना उनका धर्म हुआ करता था और बुजुर्गों का जीवन भी अपने परिवारजनों को समर्पित होता था। संयुक्त परिवार प्रथा के तहत सभी परिवारजन इक्ठ्ठे ही रहा करते थे। लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट या कालाबाजारी नहीं करते थे। दूध बेचा नहीं बल्कि मिल बांटकर प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है। जीवन का मतलब, जीने का ढंग, रिश्ते नाते, सोच, विचार, आदतें, रीति रिवाज आदि सब बदल गये हैं। अब गिरे हुए का मजाक होता है, उसे उठाने वाले बहुत कम मिलते हैं, पैसा प्रधान बना हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति पर महत्वाकांक्षा, अहंकार, स्वार्थ भावना हावी हो रही है। भाड़ में गया परिवार, भाड़ में गई रिश्तेदारी और भाड़ में गई शराफत, इमानदारी। दया, धर्म, शिष्टाचार, लिहाज बगैरह पुराने फैशन की बात हो गई है। महिलायें घर की चौखट से बाहर ही नहीं रहती बल्कि रात रात भर क्लबों वगैरह पराये मर्दों के साथ हाथों में हाथ डाले मदिरापान कर डांस भी करती हैं। लिव इन रिलेशनशिप के तहत स्त्री तथा पुरुष बिना विवाह के इक्ठ्ठे रहकर जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं और जब जी भर जाये एक दूसरे को लात मार कर अलग हो जाते हैं। ऐसा कुछ करते हुए कोई शर्म, डर, भय, संकोच बिलकुल नहीं है। क्योंकि आजके जमाने में पैसा ही प्रधान है। इसलिये हर शख्स 'पैसा' पैसा, पैसा और हाय पैसा' का नारा लगाकर छल, कपट बेशर्मी का दामन थाम रहा है। पैसा कमाने के लिये लोग मिलावट कर रहे हैं। राजनीति को अपना रहे हैं, एक दल को लात मार दूसरे दल में जा रहे हैं, तन बेच रहे हैं, मन बेच रहे हैं, वेश्यावृत्ति अपना रहे हैं, देशभक्ति बेच रहे हैं, देश हितों को बेच रहे हैं, भ्रष्ट तरीके अपना रहे हैं। किसी समय डाक्टरी पेशे को बहुत अच्छा माना जा रहा था आज यह पेशा भी जनसेवा के बदले में मरीजों की चमड़ी उधेड़कर पैसा कमाने का साधन बन गया है। पैसे के पीछे डाक्टर लोग कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य पाप करते हैं, मरीजों की किडनी निकाल बेचते हैं, नकली दवाईयों के व्यापार में मदद कर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज बड़े, छोटे, स्त्री, बुजुर्ग, बीमार, अनाथ, लाचार व्यक्ति की कोई लिहाज नहीं। घर के बेटे ही बुजुर्ग मां बाप के साथ गाली, गलौच, मारपीट करते हैं, उनका अनादर, तिरस्कार अवहेलना तथा अपमान करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में धकेल कर उनकी सम्पत्ति हड़प लेते हैं। आज के जमाने में बहुत सारे लोग बेशर्म, ढीठ, जिद्दी, निर्लज्ज और नंगा होकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हुए देखे जा सकते हैं। न्यूनतम वस्त्रों में बेशर्म अदाओं से तुमको से दर्शकों को लुभाने वाली नर्तकीयां इज्जतदार बनी हुई हैं। बदनाम होंगे तो क्या नाम होगा और वैसे भी कहावत मशहूर है कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। फिर आदमी शर्म क्यों करे। अगर आप किसी विवाह शादी में जाओ और यह सोचते हुए इन्तजार करो कि पुरानी संस्कृति के अनुरूप कोई आपको कहेगा, "आईये, जनाब शुरू कीजिए", तो आप भूख ही रह जायेंगे। आप अपने चारो तरफ नजर दौड़ाये, लोग खाने पीने की चीजों पर भुख्खड़ों की तरह टूट रहे होते हैं। किसी नौकरी के इन्टरव्यू में आजकल योग्यता को कोई नहीं पूछता। सिफारिश या फिर पैसे के बलबूते पर नालायक, कामचोर तथा लापरवाह उम्मीदवारों का चयन हो जाता है और शर्म तथा संकोच करने वाले अगली बार चुने जाने के लिए सत्यानारायण की कथा, व्रत, मन्त्रों, मुरादें मांगते रहते हैं। देखिये, साहब यूँ काम नहीं चलेगा। कुछ प्रैक्टिकल होईये। रोने चिल्लाने से कोई तरस नहीं करेगा उठिये, बेशर्मी का दामन थामिये बस फिर जादू देखिये। पति शराब पीकर मारपीट करता है, हुडदंग करता है, बेमानी औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ाता है तो पत्नी को घूँघट उतारकर शर्म जिलाज छोड़कर हाथ में बेलन या फिर झाड़ू तो उठाना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारों, निर्लज्ज, बेशर्म, ढीठ तथा जिद्दी हो जाईये, सफलता आपके कदम आयेगी। हे, बेशर्मी। तेरी सदा ही जय

प्रो. श्यामलाल कौशल

साप्ताहिक राशिफल

मेष : इस सप्ताह आप-अपनी आवश्यकताओं पर लगाम लगायें तभी जीवन की गाड़ी चाल पायेगी। सामाजिक सम्बन्धों में बढ़ोत्तरी होगी जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आयेगा। कोई जरूरी नहीं कि हर तरफ आपकी प्रशंसा ही हो लेकिन कई जगहों से अच्छा रिसपान्स जरूर आयेगा।

वृष : इस सप्ताह आप किसी के लालच में न आये वरना वह आपका गलत तरीके से प्रयोग कर सकता है। अपने सहयोगियों की पीठ थपथपाने से उनके मनोबल एवं कार्यक्षमता दोनों में वृद्धि होगी। कार्य योजनाओं पर शीघ्र निर्णय लेना उचित नहीं है।

मिथुन : इस सप्ताह आपके रुके हुये कार्यों में प्रगति होगी जिससे मन कुछ हल्का होगा और आशावदी विचार उत्पन्न होंगे। कुछ लोग धार्मिक क्रिया-कलापों में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। नये सम्बन्धों में जल्दबाजी न करें। आय के नये स्रोत बनने की सम्भावना नजर आ रही है।

कर्क : इस सप्ताह लोगों की सहायता करते-करते अपने-आपको शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे। त्रुटि करना कोई गुनाह नहीं है, परन्तु उसकी पुनरावृत्ति करना भविष्य के लिए हानिकारक है। आये हुये धन का आगे बढ़कर सत्कार करें अन्यथा अवसरों का इन्तजार ही करना पड़ेगा।

सिंह : इस सप्ताह कुछ लोगों को किसी नजदीकी व्यक्ति से पीड़ा मिल सकती है। जरूरी कार्य स्वयं करें न कि दूसरों के सहारे रहें। सलाह और दवा बिना मांगे नहीं दी जाती अन्यथा लोग आपका उपहास उड़ायेंगे। नये सम्बन्धों के प्रति सकारात्मक सोच रखना लाभकारी रहेगा।

कन्या : इस सप्ताह आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य होंगे जिसकी वजह से लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। क्योंकि आप में जो बात है, वह हर किसी में कहां आ पाती है। इसलिए अपनी उपयोगिता बनायें रखें इसी में आप का हित होगा। परिवार में किसी बुजुर्ग को शारीरिक कष्ट हो सकता है।

तुला : इस सप्ताह आपके लम्बे समय से प्रतीक्षारत कार्यों में प्रगति होगी जिससे मानसिक शान्ति मिलेगी। परिवार के कुछ सदस्यों के प्रति मन में उदासीनता बनी रहेगी। जल्दबाजी में किया गया कोई भी कार्य ठीक नहीं होता है, इसलिए कोई भी कार्य धैर्यपूर्वक करेंगे तो अच्छा रहेगा।

वृश्चिक : इस सप्ताह कुछ लोग पुरानी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे, परन्तु अपने ही टांग अड़ायेंगे। अनावश्यक वस्तुओं पर अपना ध्यान केन्द्रित न करें। नवयुवक वाणी प्रयोग में सावधानी बरतें अन्यथा विवाद में पड़ सकते हैं।

धनु : यह सप्ताह आप-अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। कुछ समय पश्चात स्थितियां अनुकूल हो जायेगी। अपने कार्यों की प्रशंसा स्वयं न करें तो हितकर रहेगा। साझेदारी वाले कार्यों से दूर ही रहें।

मकर : इस सप्ताह आप किसी महत्वपूर्ण योजना पर धन का व्यय करेंगे जिसके दूरगामी परिणाम लाभकारी प्रतीत हो सकते हैं। कलात्मक कार्यों के प्रति विशेष रुचि बनी रहेगी। पारिवारिक रिश्तों में नजदीकियों बढ़ने से मन आशान्वित होगा।

कुम्भ : इस सप्ताह आपको-अपने निकटतम प्रतिद्वन्द्वियों से सावधानी बनायें रखें वरना वे आपकी छवि को धूमिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। दूर की यात्रा में व्यवधान आने से मन खिन्न हो सकता है। किसी के प्रति वफादारी करने से मानसिक उर्जा में वृद्धि होगी।

मीन : इस सप्ताह आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपके परिवार की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जायें। कदम फूँक-फूँक कर रखने की आवश्यकता है क्योंकि हर कदम पर विरोधी आपका विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं।

पं० दीनानाथ तिवारी

श्रीमद्भगवत गीता

विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्।

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते॥

शास्त्रविधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मन्त्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किये जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं॥१३॥

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥

देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा-यह शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है॥१४॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्।

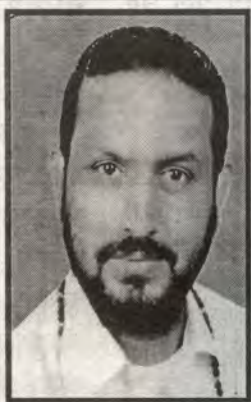
स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते॥

जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद-शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम-जप का अभ्यास है-वही वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है॥१५॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते॥

मन की प्रसन्नता, शान्तभाव, भगवच्चिन्तन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अन्तःकरण के भावों की भलीभाँति पवित्रता-इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है॥१६॥

हमारे युवा बनाएंगे
कल का भारत

एक रिपोर्ट के मुताबिक २०३० तक एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन में युवाओं की संख्या जहां कुल आबादी की २२.३१ फीसदी होगी और जापान में यह २०.१० होगी, भारत में यह आंकड़ा सबसे अधिक ३२.२६ फीसदी होगा। यानी भारत अपने भविष्य के उस सुनहरे दौर के करीब

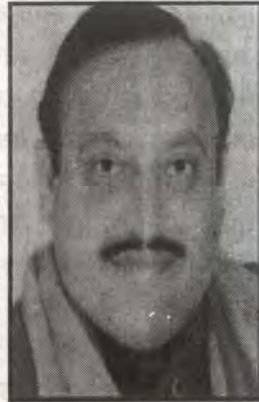
है जहाँ उसकी अर्थव्यवस्था नई ऊँचाईयों को छू सकती है। लेकिन जब हम युवाओं के सहारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की बात करते हैं तो इस बात को समझना आवश्यक है कि युवा होना केवल जिंदगी में जवानी का एक दौर नहीं होता जिसे आंकड़ों में शामिल करके गर्व किया जाए। यह महज उम्र की बात नहीं होती। यह विषय उस से कहीं अधिक होता है। यह विषय होता है असीमित सम्भावनाओं का। यह विषय होता है सृजनात्मकता का। यह विषय होता है कल्पनाओं की उड़ान का। कहा जा सकता है कि युवा या यूथ चिड़िया के उस नन्हे से बच्चे के समान है जो अभी अभी अपने अण्डे को तोड़कर बाहर निकला है और अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाकर उम्मीद और आजादी के खुले आकाश

बेकरार है। यह किसी भी देश के तरह हमारे देश के वो शक्ति है कि वो विकासशील देश एक विकसित देश

राष्ट्रीय उद्बोधन
चन्द्र प्रकाश कौशिक
राष्ट्रीय अध्यक्ष

में उड़ने को बात सही है कि युवाओं की युवाओं में भी भारत को एक से बदल कर की श्रेणी में

लाकर खड़ा कर दें। इस देश से आतंकवाद और दहेज जैसी समस्याओं को जड़ से मिटा दें। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारे युवा देश को बदल सकते हैं तो क्या हम यह भी सोचते हैं कि वो कौन सा युवा है जो देश बदलेगा। वो युवा जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है या वो युवा जिसकी प्रतिभा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। वो युवा जो वंशवाद का मुखौटा ओढ़कर स्वयं को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है या वो युवा जो देश में अपनी प्रतिभा को उचित सम्मान न मिलने पर विदेशी कंपनियों में नौकरी कर देश छोड़कर चले जाने के लिए विवश है। या वो युवा जो कभी तीन माह की तो कभी तीन साल की बच्ची तो कभी निर्भया के बलात्कार में लिप्त है। या फिर वो युवा जो कालेज कैम्पस में किसी राजनैतिक दल के हाथों का मोहरा भर है। तो फिर कौन सा युवा देश बदलेगा। इसका जवाब भी है कि परिस्थितियां बदलने का इंतजार करने के बजाए हम स्वयं पहल करें। अगर हम चाहते हैं कि युवा इस देश को बदलें तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। हम युवाओं का भविष्य तो नहीं बना सकते लेकिन भविष्य के लिए युवाओं को तैयार तो कर ही सकते हैं। हमें उन्हें सही मायनों में शिक्षित करना होगा। उनका ज्ञान जो किताबों के अक्षरों तक सीमित है उसे व्यवहारिक ज्ञान की सीमाओं तक लाना होगा। उसे वो शिक्षित युवा बनाना होगा जो नौकरी देने वाला उद्यमी बने, एक एन्टरप्रेन्योर बने न कि नौकरी ढूँढ़ने वाला एक बेरोजगार। उन्हें शिक्षित ही नहीं संस्कारित भी करना होगा। उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना होगा। पैसों से ज्यादा उन पर समय खर्च करना होगा। हमें उन युवाओं का निर्माण करना होगा जो देश के सहारे खुद आगे जाने की बजाय अपने सहारे देश को आगे ले जाने में यकीन करते हों। हमें सम्मान करना होगा उस युवा का जो सड़क किनारे किसी बहते हुए नल को देखकर चुपचाप निकल जाने के बजाय उसे बन्द करने की पहल करता है। हमें आदर करना होगा उस युवा का जो कचरा फेंकने के लिए कूड़ादान ढूँढ़ता है लेकिन सड़क पर कहीं पर भी नहीं फेंक देता। और यह हर्ष का विषय है कि ऐसे युवा हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास हमारे बीच आज भी हैं, बहुत हैं। आज जब हमारा सामना ऐसे किसी युवा से होता है तो हम मन ही मन में उसकी प्रशंसा करते हैं और निकल जाते हैं। अब जरूरत है उन्हें ढूँढ़ने की और सम्मानित करने की। आवश्यकता है ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने की। एक समाज के रूप में, एक संस्था के रूप में ऐसे युवाओं को जब देश में सम्मान मिलेगा। पहचान मिलेगी, इन्हें शेष युवाओं के सामने यूथ आइकन और रोल मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। तो न सिर्फ यह इसी राह पर डटे रहने के लिए उत्साहित होंगे बल्कि देश के शेष युवाओं को उन की सोच को एक लक्ष्य मिलेगा एक दिशा मिलेगी। जब हमारे देश के युवा सही दिशा सही और लक्ष्य पर चल निकलेंगे तो सही मायनों में यह कहा जा सकता है कि आने वाला कल भारत का ही होगा।

जनता मर रही है, सरकार
योजना बनाने में है जुटी

भारत में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और लोगों में इसको लेकर नाराजगी है। तेल की कीमतें राजनीतिक मुद्दा भी बनती जा रही है। राहुल गांधी इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कीमतें कम कीजिए अथवा धरने प्रदर्शन के लिए तैयार रहिए, भाजपा नेताओं में भी इसको लेकर बेचैनी नजर आ रही है। लेकिन अभी तक तेल की कीमतों में राहत को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। सरकार की ओर से ऐसे संकेत मिले हैं कि करों में कटौती करके लोगों को राहत दी जायेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय की तेल कंपनियों के साथ बैठक से कुछ राहत की उम्मीद भी बंधी थी, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। दूसरी ओर तेल कंपनियों के अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी ओर से कीमतों में राहत की संभावना नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतें चढ़ी हुई हैं। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गयीं हैं। तेल की कीमतों के बढ़ने की दो तेल की बढ़ती कीमतें मुकाबले कमजोर ईरान पर अमेरिका अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतें चढ़ी हैं,

राष्ट्रीय आह्वान

मुन्ना कुमार शर्मा
राष्ट्रीय महासचिव

हैं। तेल की कीमतों कारण हैं एक कच्चे और दूसरा डॉलर के होता जा रहा रुपया। के प्रतिबंध के बाद में कच्चे तेल की लेकिन दाम २०१३ के

मुकाबले अब भी कम हैं। यह कीमत लगभग ८० डॉलर प्रति बैरल है। पांच साल पहले यह कीमत ६१ डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गयी थी। २००६ से २०१० के बीच एक वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम १४० डॉलर प्रति बैरल तक चला गया था। लेकिन तब भी तेल की कीमतों को नियंत्रित रखा जा सका था, भारत अपने तेल का आयात मुख्य रूप से मध्य पूर्व के देशों से करता है और वहां राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों की घोषणा की है, इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की आपूर्ति पर असर पड़ेगा। इससे भारत की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। मौजूदा स्थिति यह है कि भारत इराक से सबसे अधिक तेल खरीदता है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है और तीसरे पर ईरान है, अभी एक और संकट आने वाला है। ईरान पर प्रतिबंधों के बाद आशंका यह है कि अमेरिका भारत पर दबाव डाल सकता है कि वह उससे कच्चा तेल न खरीदे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत तेल की अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए ८० फीसदी कच्चा तेल आयात करता है और पिछले कुछ समय से लगातार इसकी मांग में बढ़ोतरी होती जा रही है। पेट्रोल की कीमतों से सीधे तौर पर आप और हम प्रभावित होते हैं, जबकि डीजल महंगा होने से महंगाई बढ़ती है और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। हमारी पूरी परिवहन व्यवस्था डीजल पर आधारित है, भारत में तेल की कीमतें निर्धारित कैसे होती हैं और उसमें टैक्स कितना लगता है, भारत में तेल की कीमतें अपने पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले कहीं अधिक हैं। इसका कारण है भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पर जमकर टैक्स लगाती हैं। उनका तर्क है कि राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए यह जरूरी है। मोदी सरकार की भी दलील है कि तेल से होने वाली आमदनी का सरकार कल्याणकारी योजनाओं और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाने में इस्तेमाल कर रही है। जब २०१४ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब तेल की कीमतें ११३ डॉलर प्रति बैरल से घटकर ५० डॉलर पर आ गयीं थीं, प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक सभाओं में कहते भी थे कि यह तो उनका नसीब है कि उनके कार्यकाल के दौरान कच्चे तेल की कीमतें इतनी कम हो गयीं। यह स्थिति लगभग तीन साल चली, लेकिन टैक्स के कारण आम आदमी तक सस्ते तेल का लाभ नहीं पहुंचा। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद तेल पर एक्साइज ड्यूटी को कई बार बढ़ाया, लेकिन घटाया सिर्फ एक बार। कहने को तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों की बैठक कीमत कम करने के लिए बुलायी, जबकि कच्चा तेल महंगा होने के कारण तेल कंपनियों के लिए दाम कम करने की गुंजाइश बहुत कम है। टैक्स तो केंद्र सरकार को कम करना है, जिस पर अभी विचार किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर चुनौती दी है, लेकिन अगर कांग्रेस की पंजाब सरकार और कांग्रेस समर्थित कर्नाटक सरकार अपने टैक्स में कटौती कर पहले पेट्रोल और डीजल सस्ता कर एक मिसाल पेश करतीं और फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चुनौती देते, तो उसका व्यापक असर पड़ता और भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें दबाव में आ जातीं।

जानिए भोजन में कैलोरी की मात्रा

जरूरत है

यह आपके व हमारे दैनिक कार्यों और एक्टिविटी पर निर्भर करता है, यदि हमारा कार्य ज्यादा परिश्रम करने का है तो कैलोरी खर्च होती और उसको पूरा करने के लिए ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है। नॉर्मली कार्य करने/

होते हैं जिसमें अलग-अलग कैलोरी की मात्राएँ होती हैं। किस भोजन में कैलोरी है व किसमें नहीं यह जानने हेतु भोजन को 2 वर्गों में बाँटा गया है—

वर्ग A

❖ कार्बोहाइड्रेट्स (मैदा, चीनी, आलू, गेहूँ, केला आदि आते हैं।)



गृहकार्य करने/बैठने का कार्य करने वालों को प्रतिदिन १६०० कैलोरी की जरूरत होती है, जबकि मजदूर व भारी कार्य करने वालों को इससे अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तैरने व दौड़ने में १०-१२ कैलोरी/मिनट खर्च होती है, इसलिए ज्यादा मोटे व्यक्ति को तैरने व दौड़ने की सलाह दी जाती है।

हमारा भोजन और कैलोरी

अमूमन हम लोग दाल, चावल, रोटी, सब्जियाँ ही खाते हैं और इनके अतिरिक्त भी अन्य खाद्य

❖ प्रोटीन (दालें, अनाज, अण्डा, दूध, मछली—मॉस आदि)

❖ वसा (दूध, चावल फ्राई, तेल, घी, मक्खन, पनीर आदि)

वर्ग B

❖ विटामिन्स (फल, सब्जियाँ)
❖ खनिज (दूध, दही, मक्का, जौ, चना आदि)

❖ फाइबर (चना, मक्का, सोयाबीन, फल, सब्जियाँ, हरी पत्तेदार, चौकर युक्त आटा आदि)

❖ वर्ग A वर्ग B में विशेष अंतर है। वर्ग A से कैलोरी प्राप्त होती है जबकि वर्ग B से नहीं।

❖ १ ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स से ४ कैलोरी मिलती है।

❖ १ ग्राम प्रोटीन से ४ कैलोरी मिलती है।

❖ १ ग्राम वसा से ६ कैलोरी मिलती है।

भोजन में उपस्थित तत्व (Components of Diet)

वसा : सभी प्रकार के तेल में वसा होती है और यह शरीर में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रति १ ग्राम वसा से ६ कैलोरी मिलती है।

प्रोटीन : दूध, माँस, मछली, अण्डा तथा खनिज प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। जानवरों द्वारा प्राप्त प्रोटीन सबसे बेहतर ऊर्जा प्रदान करता है क्योंकि इसमें एमिनो एसिड समानुपात में पाया जाता है, किन्तु यह स्रोत कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, अतः हृदय रोगी इनका सेवन कम मात्रा में करें। खनिज, दाल

एवं बाजरा के मिश्रण से निकला प्रोटीन सर्वोत्तम होता है, प्रोटीन शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा प्रति ग्राम प्रोटीन में ४ कैलोरी मात्रा मिलती है।

इसके अतिरिक्त जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वे कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में आते हैं। जैसे—चावल, चपाती, आलू, शर्करा (चीनी), इत्यादि। सारे खनिज जैसे—चावल, गेहूँ, बाजरा, फल (नारंगी, केला, सेब, आम, चिकू, पपीता)

कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में आते हैं। जितने खाद्य पदार्थ मीठे होते हैं उन्हें “साधारण कार्बोहाइड्रेट्स” की श्रेणी में डालते हैं।

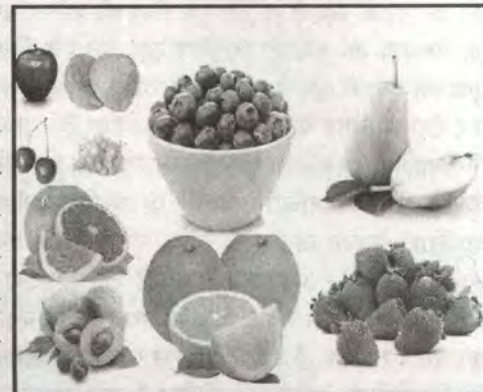
हमारे शरीर में अधिकांश कोशिकाएँ शर्करा के उपयोग ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स—शर्करा का सर्वोत्तम स्रोत होता है। डायबिटीज व हृदय रोगी को साधारण कार्बोहाइड्रेट्स से परहेज तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना चाहिए। ऐसे मरीजों को आम, केला, अंगूर, चिकू से परहेज करना चाहिए।

डायबिटीज से बचाव के अचूक नुस्खे

१. एक खीरा, एक करेला और एक टमाटर, तीनों का जूस निकालकर सुबह खाली पेट पीने से डायबिटीज कंट्रोल होती है।
२. नीम के सात पत्ते सुबह खाली पेट चबाकर या पीसकर पानी के साथ लेने से डायबिटीज में आराम मिलता है।
३. सदाबहार के सात फूल खाली पेट पानी के साथ चबाकर खाने से डायबिटीज में आराम मिलता है।

संतरा और अंगूर भी हैं फायदे का सौदा

सूरज की किरणों से त्वचा पर होने वाले हानिकारक प्रभावों को कम करने में सहयोगी साबित होता है और त्वचा पर झुर्रियों को भी कम करता है। अंगूर का रस मॉसपेशियों में कमजोरी की समस्या को दूर करने में उपयोगी है। यह किडनी, लीवर और खून से विषाक्त पदार्थों को साफ करता है जिससे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है।



इन फलों में ट्रांस-रेस्वेराट्रॉल (Trans-resveratrol) और हेस्पेटीन (Hesperetin) पाया जाता है, जो चीनी से उत्पन्न होने वाले मेथिलग्लाइक्सल (Methylglyoxal MG) को संतुलित रखने में मदद करता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में मेथिलग्लाइक्सल (MG) ज्यादा मात्रा में है और उसका खानपान भी तैलीय पदार्थों से भरपूर हो तो उन्हें टाइप-२ डायबिटीज होने का खतरा हो सकता है। मेथिलग्लाइक्सल (MG) की मात्रा अधिक होने से ब्लड वेसेल्स के भी डैमेज होने का खतरा बना रहता है जोकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है।

शोधकर्ताओं ने कुछ लोगों के समूह पर इसे आजमाया और नतीजा उनके हक में मिला। रोजाना इस कॉम्बो की एक गोली का सेवन अगर नियमित और संतुलित आहार के साथ किया जाए तो कुछ ही दिनों में डायबिटीज, ब्लडप्रेसर, दिल की बीमारी और साथ ही मोटापे से भी निजात मिलना शुरू हो जाएगा।

वैसे भी अंगूर का रस अगर ब्रेकफास्ट में लिया जाए तो इससे मूड—स्विंग की भी समस्या से निपटा जा सकता है। रोजाना सुबह १ गिलास अंगूर का रस लें और अच्छे मूड के साथ दिन की शुरुआत करें और आप दिन भर स्फूर्ति में भरे रहेंगे।

जानिए कैलोरी को

जिस प्रकार मुद्रा को रुपए से, वजन को किलोग्राम से, पानी को लीटर से और दूरी को किलोमीटर से नापा जाता है उसी तरह ‘ऊर्जा’ को ‘कैलोरी’ से मापा जाता है। आप यदि बोलते हैं तो २ कैलोरी चाहिए, १ मिनट दौड़ते हैं तो लगभग १० कैलोरी तथा जब आप सोते हैं तो आपके दिल को धड़कने व साँस लेने के लिए प्रति मिनट आधा कैलोरी की आवश्यकता होती है।

शरीर को कितनी कैलोरी की

श्री आदि ज्योतिर्लिंग



आदि ज्योतिर्लिंग भगवान वैद्यनाथ आंध्र प्रदेश के परली वैजनाथ नगर में विराजमान है। महर्षि मृकंड के पुत्र मार्कण्डेय की कथा का संबंध इस स्थल से माना गया है। मार्कण्डेय को अल्पायु का अभिशाप था।

पिताजी एवं सप्तर्षिओं की प्रेरणा से बाल-मार्कण्डेय ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी आयु की अवधि समाप्त होने पर यमराज उनके लेने स्वयं प्रकट हुए। परंतु जो स्वयं मृत्युंजय की शरण में हो, उसे यमराज भी कैसे ले जा सकते हैं। मार्कण्डेय की अचल शिव भक्ति के सामने यमपाश परास्त हुआ। मार्कण्डेय को अमरत्व का वरदान मिला। आज भी मार्कण्डेय को दीर्घ एवं स्वस्थ आयु की प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव स्वयं आयुर्वेद के जनक हैं। आयुर्वेद को प्राचीन भारत की महान उपलब्धि माना गया है। हमारी परंपरा में तन-मन को स्वस्थ करने के लिए योगविद्या और औषधियों के साथ आध्यात्मिक प्रयोगों का भी विशेष महत्त्व है। वेदों में भी सौ साल की निरोगी आयु प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। आयुर्विज्ञान एवं अध्यात्म दर्शन के इस अद्भुत संयोजन से जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाएँ।

महिलाओं का पर्यावरण
से क्या संबंध हो सकता है? क्या यह संबंध पुरुषों से पृथक् होता है? विकासशील देशों में अस्तित्व के लिए हो रहे संघर्षों से महिला और पर्यावरण के संबंध का भौतिक आधार तो मिलता है और एक पर्यावरण नारीवाद के लिए वैकल्पिक पृष्ठभूमि भी। महिलाओं की पहचान और भाग्य प्रकृति के साथ घुला मिला है। महिलाओं का सरल व कोमल स्वभाव ही उसे पर्यावरण के साथ जोड़ता है। इसी कारण एण्डीकोलार्ड ने महिलाओं को प्रकृति का शिशु कहा है। इन्हीं कारण से महिलाएँ पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले सैन्यवाद, औद्योगिकरण का विरोध करती हैं। देखा जाए तो पर्यावरण के मामले में महिला को कितना भुगतान पड़ता है और वो स्वयं इसके नुकसान में कितनी भागीदार हैं?

उल्लेखनीय है कि समाज में पुरातन समय से महिलाओं का प्रकृति के स्वरूप को यथावत् रखने व उसके संरक्षण के प्रति सजग, सचेत व सचेष्ट रही हैं। देश की महिलाएँ वृक्षों, नदियों, जल स्रोतों व कुओं की पूजा-अर्चना विविध रूपों में करती रही हैं व कर रही हैं जो कि उनके प्रकृति प्रेम एवं प्रकृति के प्रति आस्था व समर्पण का परिचायक है। क्योंकि इन ६ आरोहों से ही मानव जीवन का विकास संभव होता है, ये वैधानिक दृष्टिकोण से भी सिद्ध हो चुका है। अब प्रश्न उठता है कि महिलाएँ पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान देती रही हैं? महिलाओं के विविध आंदोलन व कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु सतत व प्रभावी प्रयास किये

गये हैं। जैसे—
ज्ञातव्य है कि लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व राजस्थान के एक राजा ने चूना बनाने हेतु अपने रजवाड़े को खेजड़ी के वृक्षों को कटवाने का आदेश दिया था। अमृता देवी नामक विश्‍नोई महिला के नेतृत्व में अनेक महिलाओं ने इन वृक्षों से चिपक कर वृक्षों की कटाई को रोका एवं समाज को वृक्षों के संरक्षण का संदेश दिया। इसी प्रकार उत्तराखण्ड में उत्तरकाशी की महिलाओं ने प्रक्षा सूत्रष आंदोलन का सूत्रपात करते हुए वृक्षों पर प्रक्षा घागाष् बांधते हुए उनकी रक्षा का संकल्प लिया। वर्ष २००४ में नोबल शान्ति पुरस्कार से सम्मानित 'बंगारी मथाई' ने ग्रीन बेल्ट आंदोलन का शुभारम्भ करते हुए पर्यावरण के क्षेत्र में महिलाओं के अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने हेतु अनवरत संघर्ष किया। इसी क्रम में हम चिपको आंदोलन को देख सकते हैं। १९७० के दशक में हिमालय क्षेत्रों में वनों का विनाश रोकने हेतु स्त्रियों के जान देने की घटना के पश्चात् इस आंदोलन को 'चिपको' आंदोलन नाम दिया गया। इसी प्रकार दक्षिण भारत में 'आम्बिकों' आंदोलन का श्री गणेश किया गया। इस संदर्भ में पर्यावरण महिलावाद का मानना है कि पुरुषों को भी महिला के समान अपने स्वभाव व विचार में करुणा व ममता के भाव को लाना होगा।

देखा जाए तो संभवतः पहली बार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा-यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर महाकुंभ में पर्यावरण और बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण तथा प्रदूषण मुक्त भारत के लिए संतों की ओर से अभियान चलाया गया

विश्व पर्यावरण दिवस पर 'नारी के नजरिए से पर्यावरण को देखें'

रश्मि अग्रवाल



था। संवत् १७८७ में ३६३ स्त्री, पुरुषों ने वृक्षों की रक्षार्थ अपने प्राणों की बलि दी थी।

बीते दिनों, 'द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (टेरी) द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं का एक बहुत बड़ा प्रतिशत भी पर्यावरण संरक्षण और विकास को समान महत्व देता है। कुछ समय पूर्व ही टेरी द्वारा जारी पर्यावरण सर्वेक्षण २०१ की रिपोर्ट जल और जल संबंधी मुद्दों पर केंद्रित है। ये सर्वेक्षण दिल्ली, मुम्बई, कोयंबटूर, गुवाहाटी, इंदौर, जमशेदपुर, कानपुर और पुणे को मिलाकर कुल आठ शहरों में हुआ था। ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि पुरुषों (३६ प्रतिशत) की

तुलना में महिलाओं (४८ प्रतिशत) के एक उच्च अनुपात ने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण और विकास साथ-साथ चले हैं। इसके अतिरिक्त लगभग (४० प्रतिशत) महिलाओं ने अनुभव किया कि पर्यावरण और विकास बिना किसी दुविधा के साथ चले हैं, जबकि (३० प्रतिशत) ने माना कि संस्कार को विकास के बजाए पर्यावरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हितार्थ ही नहीं वरन् राष्ट्र की प्रत्येक समस्या के निदान में आज भी पूर्ण प्रासंगिक है और पर्यावरणवाद जो कि आज एक सामाजिक आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। पर्यावरण कोई स्वाधीन राजनीतिक सिद्धांत नहीं, यह एक विचारधारात्मक

आंदोलन है, जो पश्चिमी राजनीति में १९७० के दशक में उभरकर सामने आया जो धीरे-धीरे पूरे विश्व में फैल गया।

यदि हम यह कहें कि पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्वव्यापी जागरूकता की आवश्यकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यूँ तो भारत देश गांवों का देश है व इसकी लगभग ७० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण अंचलों में निवास करती है अतः जब तक हम गांवों में पर्यावरण को संरक्षित नहीं करेंगे तब तक पर्यावरण संरक्षण की बातें बेमानी होंगी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े-करकट व गन्दगी की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहाँ पूर्व में गाँव की हवा-पानी शुद्ध मानी जाती थी आज यहाँ भी प्लास्टिक/पॉलीथीन का प्रयोग खूब हो रहा है और ये कचरा पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा है। इस कचरे से मृदा प्रदूषण बढ़ता है वहीं दूसरी ओर नाले एवं सीवर बंद हो जाते हैं, जिससे प्रशासन को प्रवाह तंत्र साफ करने में काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अब बात आती है कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की सहभागिता क्या व कैसे हो? क्योंकि ऐसे बहुत

शेष पृष्ठ 11 पर

राजकीय अल्पसंख्यक इंटर कालेज तैयार

शासन ने कालेज में फर्नीचर खरीदने के लिए जारी की धनराशि

सदर तहसील के मासौली गांव में राजकीय अल्पसंख्यक इंटर कालेज नये सत्र से संचालित किया जाएगा। कालेज में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए धनराशि भी जारी कर दी है।

तुष्टिकरण रहित, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण का, भाजपाई करिश्मा!

१. संविधान में, अल्पसंख्यक का न तो अर्थ बताया गया है और न ही लिखा गया है कि किन-किन समुदायों को, किस आधार पर अल्पसंख्यक माना जाए?

२. अंग्रेजों ने, "फूट डालो, राज करो" की नीति के अन्तर्गत ५ समुदायों को, अनौपचारिक रूप से, अल्पसंख्यक माना था।

३. कांग्रेस ने, ६ समुदायों को, अखिल भारतीय स्तर पर औपचारिक रूप से, अल्पसंख्यक घोषित कर दिया।

४. भाजपा ने, चुपचाप इसे मान लिया फिर भाजपा को अन्य दलों पर, तुष्टीकरण का आरोप लगाने का कोई आधार या कारण नैतिक रूप से नहीं है।

५. जनता को, भ्रमित करने के लिए, उसने नया वाक्य बनाया है— "तुष्टीकरण रहित अल्पसंख्यक सशक्तिकरण"

६. जब संविधान में, अल्पसंख्यक की व्याख्या ही नहीं की गई है फिर भाजपा में, अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों है? उसने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, क्यों खोल रखा है? अब सरकारी अल्पसंख्यक कालेज, क्यों खोले जा रहे हैं?

७. यह कृत करके, हिन्दुओं की राजनीतिक उदासीनता, भोलेपन का अनुचित दुरुपयोग करके, भाजपा तो कांग्रेस से बढ़कर तुष्टीकरण कर रही है अतः जनता जागे और भाजपा का आंखें बन्द करके, समर्थन न करे अन्यथा पछताना पड़ेगा।

इन्द्रदेव गुलाटी, बुलन्दशहर

ताजमहल एक शिव मन्दिर

लेख पर प्रतिक्रिया

१. जो कमरे अभी तक नहीं खोले गए हैं इसकी क्या वजह है?
२. कमरे खुलने से कई जानकारियां-तथ्य -वास्तविकता खुल सकती है।
३. कमरों को खुलवाने के लिए जन हित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जानी चाहिए।
४. सैकड़ों वर्षों से मुमताज की कब्र पर एक-एक बूंद पानी सदैव कैसे टपक सकता है?
५. इसकी व्यवस्था कौन कर रहा है?
६. शिवलिंग पर भी एक एक बूंद पानी टपकाने की व्यवस्था की जाती है। बिना व्यवस्था के यह कैसे सम्भव है?
७. विश्व प्रसिद्ध इमारत पर भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए हर स्तर पर प्रयास और कार्य किया जाना चाहिए।

सावरकर वाद प्रचार सभा, बुलन्दशहर



किसान का श्रम मूल्य

विवेकानन्द माथने

प्रत्येक मनुष्य को अपने परिवार की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आजीविका मूल्य प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है। मनुष्य को दिनभर काम के बदले मिलने वाला परिश्रम मूल्य उसके परिवार का पोषण मूल्य प्राप्त करने के लिये पर्याप्त होना चाहिए। जिससे परिवार की आहार, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। भारत में संगठित क्षेत्र में पांच लोगों के परिवार के पोषण के लिए प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 2800 किलो कैलोरी के आधार पर एक दिन की मजदूरी निर्धारित की जाती है। काम अगर कुशल श्रम के श्रेणी में हो तो इसके लिए अतिरिक्त मजदूरी आंकी जाती है। कठिन परिश्रम के लिए 2900 किलो कैलोरी की आवश्यकता मानी गयी है। उद्योग जगत में वस्तु का उत्पादन मूल्य निर्धारित करते समय कर्मचारों की मजदूरी, लागत, खर्च, प्रबंधन, व्यवस्थापन मूल्य के साथ मुनाफा जोड़ा जाता है। जिससे उद्योग को एक उत्पादक के नाते आमदनी प्राप्त होती है।

किसान कुशल श्रमिक, प्रबंधक और उत्पादक है। खेती में शारीरिक, बौद्धिक श्रम करने पड़ते हैं इसलिये वह कुशल कार्य है। पूर्व मशागत, बुआई से फसल निकलने और बिक्री तक प्रबंधन एवं व्यवस्थापन, फसल की सुरक्षा आदि प्रबंधक और उत्पादक के सभी कार्य करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों के लिये आमदनी प्राप्त करना किसान का मौलिक अधिकार है और इस अधिकार का संरक्षण करने के लिए नीति निर्धारण करना लोक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 29, 23, 32(1), 32(2), 36, 49, 83, 86, 89 जनता के इस अधिकार का संरक्षण करता है। लोक

कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी है की वह किसी का शोषण न होने दे और मौलिक अधिकार का रक्षण करें। संविधान में मजदूरी निर्धारण में किसी प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के लिये बने सातवें वेतन आयोग ने कैलरीज के आधार पर बेसिक मजदूरी निर्धारित की है। सरकारी कनिष्ठ श्रेणी के कर्मचारी की एन्ट्री पे प्रतिमाह 92 हजार रुपये मजदूरी निर्धारित की गई है। जो उसके नौकरी के कालावधि में औसत 28 हजार रुपये याने की 200 रुपये प्रतिदिन है। जैसे जैसे श्रेणी बढ़ती है बिना किसी शास्त्रीय आधार के इसे गुना कर सर्वोच्च श्रेणी के कर्मचारी के लिये अन्य सुविधा के अलावा प्रतिमाह 2 लाख 50 हजार रुपये याने की 2300 रुपये दिन की मजदूरी मिलती है। परिवार में एक से अधिक सरकारी कर्मचारी होने पर भी प्रत्येक कर्मचारी को पूरे परिवार के लिये वेतन दिया जाता है। देश की 9 करोड़ नौकरशाही (आबादी के 8 प्रतिशत) के वेतन पर टैक्स प्राप्ति का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जाता है। राज्य सरकारों के बजट की भी यही स्थिति है।

उद्योगपतियों को अमर्यादित लाभ कमाने की खुली छूट है। उसपर कोई नियंत्रण नहीं है। उद्योगपतियों को इंसेंटिव के नामपर हर साल लाखों करोड़ रुपये की टैक्स माफी और सुविधाएं दी जाती हैं। उपर से एनपीए में छूट भी दी जाती है। कंपनियों में कुशल लोगों की सेवा प्राप्त करने के लिये उन्हें स्पर्धात्मक मजदूरी और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं असंगठित कामगारों के लिये परिवार के दो लोगों को कर्मकारी मानकर मिनिमम वेजेस एक्ट के अनुसार प्रतिदिन 365

रुपये मजदूरी निर्धारित की गयी है। लेकिन यह आश्चर्य है कि कृषि प्रधान देश में, जहां का मुख्य समाज किसान है, आजादी के 70 साल बाद भी उसे मेहनत का मूल्य देने की व्यवस्था नहीं बनाई गई। कुशल श्रमिक, प्रबंधक और उत्पादक के नाते आमदनी देने की बात तो दूर सबसे आवश्यक सेवा के लिये कठिन मेहनत के बावजूद उसे न्यूनतम मजदूरी प्राप्त नहीं होती। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में शरीर श्रम के लिए प्रतिदिन केवल 62 रुपये मजदूरी मिलती है। खुले बाजार में वह भी। मिलने की कोई गारंटी नहीं है। देश में किसी भी काम के लिये मिलने वाली मजदूरी में यह सबसे कम है। गरीबी रेखा से कम है। यह मजदूरी देश के संविधान में नागरिक को प्राप्त अधिकार, कानून एवं मिनिमम वेजेस एक्ट का उल्लंघन है। इस मजदूरी में परिवार की आजीविका की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति संभव नहीं है।

भारत में नागरिकों की मजदूरी में प्रचंड भेद किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान आधार पर मेहनत का मूल्य मिलना चाहिए। श्रममूल्य निर्धारण में शारीरिक-बौद्धिक श्रम, संगठित-असंगठित, महिला-पुरुष का भेद करना अन्यायकारी है। सरकार को समान कार्य के लिये समाज मजदूरी देने की संविधानिक जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिये। अभी तक रोजगार के हर क्षेत्र में परिवार की आजीविका के लिये न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित नहीं

की गयी है।

यह अन्यायकारी व्यवस्था कुछ कुतकों पर खड़ी की गयी है। सरकारी कर्मचारियों के लिये वेतन बढ़ाते समय कहा जाता है कि स्पर्धात्मक वेतन न देने से बुद्धिमान लोग सरकार में नहीं आयेंगे। विदेश या निजी कंपनियों में चले जायेंगे। उद्योग जगत की मुख्य प्रेरणा मुनाफा मानकर मालिक को लाभ कमाने की खुली छूट दी गई है। इतना ही नहीं उन्हें इंसेंटिव देना विकास के लिये जरूरी माना गया है। खेती छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के दाम उत्पादक तय करते हैं और बेचते हैं। किसान अपने उत्पादन के दाम तय करें तब भी वह एक ऐसी व्यवस्था का शिकार है की उसे मजबूरन खरीदने वाला जो दाम देगा उसी में बेचना पड़ता है। उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रखा गया है। फसलों को मूल्य देने की जब मांग होती है तब देश में महंगाई बढ़ेगी और एक ग्राहक के रूप में किसान को ही महंगा खरीदना पड़ेगा इस कुतर्क के आधार पर उसे मेहनत का मूल्य देने के लिये आज तक कोई व्यवस्था नहीं बनाई गयी है। किसान के श्रम का शोषण करके देश में सस्ताई बनाये रखने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। सरकारें किसान से मुफ्त सेवा चाहती हैं।

किसान के लिये जानबूझकर एक शोषणकारी व्यवस्था बनाई गई है। जिसने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। इसके सामने किसान समर्पण कर आत्महत्या करता है तो मृत्यु। वह अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होता है तो बंदूक की गोली से मृत्यु। आजकी शोषणकारी व्यवस्था यही चाहती है कि किसान मरे। इसलिये आत्महत्या करने पर पांच लाख रुपये, बंदूक की गोली से मरने पर पचास लाख रुपये सरकारें देती हैं लेकिन किसान को जीवन देने के लिये उसके पास न कोई योजना है नाही उसपर विचार करने के लिये वह तैयार है। इस परिस्थिति को बदलने के नाम पर सरकार जो नीतियां बना रही है उसमें भी किसान को मारने की ही योजना बनायी गयी है।

इन सभी तथ्यों से स्वामीनाथन अनभिज्ञ नहीं होंगे खासकर तब जब आयोग को खेती की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार

कर किसान की न्यूनतम शुद्ध आय निर्धारण का काम सौंपा गया हो। वह सरकार को कृषि फसलों के शास्त्रीय पद्धति से मूल्यांकन करने और उसके आधार पर श्रम मूल्य देने या सभी कृषि उपज के दाम देने के लिये वैकल्पिक योजना पेश कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब आयोग की सिफारिशों पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है।

स्वामीनाथन प्रथम हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति से कृषि उत्पादन तो बढ़ा लेकिन किसानों पर दुर्तुफा मार पड़ने से उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गयी। विशिष्ट फसलों का उत्पादन बढ़ने से फसलों की कीमत कम हुई। उत्पादन बढ़ाने के लिये रासायनिक खेती को बढ़ावा दिया गया। जिससे बीज, खाद, कीटनाशक, यंत्र का बढ़तड़ इस्तेमाल, सिंचाई, बिजली आदि के लिये किसान की बाजार पर निर्भरता बढ़ने से लागत खर्च बढ़ा। जिससे लागत और आय का अंतर इस तरह कम हुआ की खेती घाटे का सौदा बनी और किसान कर्ज के जाल में फंसता चला गया।

हरित क्रांति में एक फसलों पिक पद्धति को बढ़ावा देने से जैव विविधता, फसल विविधता पर बुरा असर पड़ा। देश के बड़े हिस्से में बहुफसली खेती एक फसली खेती में परिवर्तित हो गयी। किसान को अपने खेती से पोषक आहार तत्व मिलनज्ञ बंद हुआ तथा पूरे देश में रासायनिक खेती के कारण खाद्यान्न और पानी में जहर घुलने से भोजन जहरीला बना दिया। इस प्रकार प्रथम हरित क्रांति किसानों की लूट करने, थाली में जहर पहुंचाने और जैवविविधता को प्रभावित करने के लिए कारण बनी। किसानों के बर्बादी में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

स्वामीनाथन अपनी सिफारिशों को दूसरी हरित क्रांति या सदाबहार हरित क्रांति कहते हैं। जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये जी एम बीज, सिंचाई की व्यवस्था, फसल बीमा, कृषि ऋण का विस्तार, समूह खेती, गांवों में गोडाउन और रास्ते की व्यवस्था आदि की सिफारिश की गयी है। लेकिन यह सारी व्यवस्थायें किसानों को खेती से हटाकर कार्पोरेट खेती को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। सरकार इसी रास्ते

शेष पृष्ठ 10 पर

पिछले दिनों एक युवक के अनेक धार्मिक संस्थाओं का द्वार खटखटाने की जानकारी मिली। कारण था, उसके बीमार पिता इस संसार से जाने से पहले प्रायश्चित करना चाहते थे। उस कार्य के लिए वह अनेक लोगों से मिला। दरअसल उसके पिता ने बीस वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। उसके अपने परिवार में तो विशेष विरोध न था लेकिन दूसरे पक्ष के लोग किसी भी कीमत पर उस विवाह की स्वीकार करने को तैयार न था। तब उसने अपना धर्म परिवर्तन कर 'उस पक्ष' को संतुष्ट किया। उनके तीन संतान हुए। बच्चों के नाम जाहिर हैं बदले हुए धर्म के रखे गये। बीस वर्ष मेहनत मजदूरी करते बीत गये लेकिन उसके हृदय में घर वापसी की टीस बनी रही। वह इस संबंध में अपनी पत्नी और बच्चों से भी अक्सर चर्चा करता रहता था। इसी बीच वह बीमार हो गया तो उसका बड़ा बेटा चिंतित हुआ। उसने अनेक संस्थाओं से सम्पर्क किया लेकिन सफलता न मिली। इसी बीच बीमार पिता इस दुनिया से कूच कर गया। उसके परिजन गांव से आये और अपने मूल धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद बच्चों ने अपने स्वर्गवासी पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार स्वयं के शुद्धिकरण कराने के प्रयास तेज कर दिये जिसमें वे सफल भी रहे। वे तीनों बच्चें अपनी मां सहित अपने पूर्वजों के धार्मिक विश्वास को अपनाकर बहुत प्रसन्न अनुभव कर रहे हैं।

इस ताजा प्रसंग की चर्चा यह समझने के लिए करनी पड़ी कि क्या धर्मान्तरण का संबंध हृदय परिवर्तन से होता है या तत्कालीन परिस्थितियों का दबाव उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करता है? क्या धर्मान्तरण किसी समस्या का समाधान है? क्या इससे समाज में शांति और खुशहाली आ सकती है? यदि ऐसा है तो देश विभाजन के समय पश्चिमी पंजाब (अब पाकिस्तान) और पूर्वी बंगाल (अब बंगलादेश) के जिन लाखों लोगों को अपने और अपने परिजनों के प्राण बचाने के लिए सामूहिक स्तर पर धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य होना पड़ा था, वहां खुशहाली तो दूर शांति भी क्यों नहीं है? भेदभाव की समाप्ति और सर्वसमानता के जिस दावे को बार-बार दोहराया जाता है पड़ताल करने पर उस दावे का भुरभुरापन सामने आता है। जिन्हें हिन्दू वर्णव्यवस्था से उत्पन्न विभेद और वंचना के विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया तथा समानता के स्वप्न दिखाये गये लेकिन ये स्वप्न कभी पूरे नहीं हुए। धर्मान्तरण के बाद भी उनकी श्रेणी भेदपरक ही बनी रही। वहां भी भेदभाव, असमानता, अलग मस्जिद, चर्च,

अलग कब्रिस्तान फिर कैसे कहे कि समानता के दावे सत्य हैं।

धर्मान्तरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एकाधिक धर्म सम्प्रदायों के अस्तित्व में आने के साथ ही शुरू हो गयी थी। धर्म, जीवन और जगत को लेकर मूल्य-मान्यताओं और व्यवहार से जुड़ी धारणाओं का ऐसा समुच्चय है जो किन्हीं व्यक्तियों अथवा समुदायों में प्रचलन में होता है। यदि कोई व्यक्ति इस समुच्चय से परे होता है, भले ही वह पहले किसी धर्म को न मानता हो और पहली बार किसी धर्म को अपनाता है तो उसमें एक तरह का अन्तरण घटित होता है। धर्मान्तरण का आशय एक धर्म से दूसरे धर्म में अन्तरण से है। यह अलग बात है कि ऐसा किसी के द्वारा स्वेच्छा से किया जा रहा है या कि इसके पीछे दबाव अथवा प्रलोभन है। अपनी मान्यताओं व दृष्टिकोण का प्रसार धर्मान्तरण में निहित है। जब भी कोई व्यक्ति नये धर्म को अपनाता है तो उसे अपनी कुछ खास धारणाएं छोड़नी पड़ती हैं।

की सहज स्वीकृति, मृतकों के साथ जीवितों के गतिशील संबंध का विचार (श्राद्ध और पुनर्जन्म की स्वीकृति के रूप में), विभिन्न मानव समूहों के अपने-अपने देवमंडल और धार्मिक विश्वासों की सहज तथ्य के रूप में स्वीकृति और जीवन के साथ मृत्यु के विरोधपरक संबंध की बजाय सह अस्तित्व की स्वीकृति। हम इन दो परम्पराओं की भिन्न परिणति देखते हैं। एक की परिणति धर्मान्तरण या 'सत्य' की विजय प्रति उपेक्षा बलिक धर्मान्तरण को अस्वाभाविक मानने में होती है दूसरी प्रोफेटिक की परिणति 'सत्य' की विजय को अपरिहार्य और धर्मान्तरण को कर्तव्य मानने वाले यहूदी, इस्लाम और ईसाई पैगम्बरी धर्म हैं। लेकिन हिन्दू धर्म को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस बात पर विस्तृत चर्चा से बचते हुए इतना ही कहा जा सकता है कि हिन्दू धर्म गैर यहूदी, गैर ईसाई, गैर इस्लामी बहुदेववादी, प्रकृति पूजक रहा है। उसमें समय-समय पर अनेक

तटीय सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों में बसे हुए हैं। मुख्यधारा के समाज से दीर्घकालिक अलगाव के बावजूद उनके धर्मविश्वास अक्षुण्ण रहे हैं।

इस्लामी विद्वानों की नजर में दुनिया दारुल इस्लाम और दारुल हरब दो भागों में बंटी है। दारुल हरब ऐसे स्थान है जहाँ अन्य आस्थाओं वाले अर्थात् गैर इस्लामिक लोग रहते हो। उसे दारुल इस्लाम बनाना

को बदनाम करने के लिए चक्रव्यूह रचते रहते हैं। उनपर पर झूठे आरोप लगाना, स्वयं ही अपने घासफूस को जलाकर स्थानीय हिन्दूओं अथवा उनके धार्मिक प्रतीकों पर अपने 'चर्च जलाने अथवा तोड़फोड़' के मनघड़त के आरोप आम बात है। उनकी इन चालों को तत्काल विदेशी समर्थन भी मिलता है जबकि भारतीय समाज सब कुछ जानते हुए भी आत्मघाती



रूप से मौन बना रहता है।

यह सत्य है कि हमारा संविधान स्वेच्छा से धर्मान्तरण की अनुमति देता है। लेकिन जहां लालच, प्रलोभन, छद्म तरीके अपनाकर ऐसा किया जा रहा है वहां इसे रोकने तथा दोषियों को दंडित करने की आवश्यकता है। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में मिशनरी के पास विदेशी धन, बल स्पष्ट दिखाई देते हैं फिर भी उसे 'हृदय परिवर्तन' बताना संविधान की मूल भावना का मजाक है। अतः यह आवश्यक है कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगानी चाहिए।

इधर बहुत तेजी से एक ऐसा अभियान उभरा है जो दलितों को हिन्दू समाज से अलग करने की कोशिश में लगा है। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का जन्मना भेदभाव/वंचना अनुचित है। इस व्यवस्था को उचित ठहराये जाने का प्रश्न ही नहीं। कर्म आधारित वर्णव्यवस्था को जन्मना जाति में बदल दिया गया है। लेकिन दलित कभी भी शेष हिन्दू समुदाय से अलग नहीं रहे। इस देश की सामाजिक व्यवस्था परस्पर सहयोग और निर्भरता की रही है। आपसी स्नेह भाईचारा, 'गांव की बेंटी, सबकी बेंटी' की भावना के दर्शन आज भी सहज हो जाते हैं। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि राजनीति ने तेजी से समाप्त हो रहे भेदभाव और अंतर को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। अपनी-अपनी जाति को अपने वोटबैंक के रूप में तैयार करने की प्रवृत्ति ने जातिगत विषमता और द्वेष को बढ़ावा दिया है। इस विकृति के जिम्मेवार अनेक तत्व हैं लेकिन मूल भारतीय मानस इसका कदापि पक्षधर नहीं रहा है। यह कटु सत्य है कि ईसाइयत या इस्लाम अपनाकर

शेष पृष्ठ 11 पर

धर्मान्तरण: कारण, भ्रम और असलियत

डॉ० गौरांगशरण देवाचार्य

धर्म के संस्थाबद्ध होते ही धर्मान्तरण की प्रक्रिया वर्चस्व से जुड़ जाती है। तब एक धर्म दूसरे के सापेक्ष अपनी शक्ति को स्थापित करना चाहता है। इससे पैदा हुए द्वंद्व और संघर्षों का इतिहास काफी रक्तंजित भी है।

यह एक दिलचस्प तथ्य है कि सम्प्रदायों का उभार कथित सभ्य समाजों में देखने को मिलता है। एक ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दुनिया को जमकर लूटा तो दूसरे का इतिहास भी इससे भिन्न नहीं है। अब प्रकृति संसाधन (तेल) ने उसे समृद्ध बना दिया है। अतः दोनों ही सहज प्राप्त धन का दुरुपयोग अपने धार्मिक विश्वास दूसरों पर थोपने के लिए कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में सामाजिक गतिशीलता भी अधिक पायी जाती है जिसके चलते अन्तर सामुदायिक सामाजिक, सांस्कृतिक संक्रमण की प्रक्रिया निरंतर परिलक्षित होती है।

आदिवासी और देशज समुदायों में भी कुछ कारणों से मतभिन्नता, परस्पर द्वंद्व हो सकता है। कुछ समुदाय घूमन्तू भी हैं लेकिन जहाँ तक धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं का प्रश्न है, कुछ विशिष्ट धारणाओं, मूल्यों और मान्यताओं को प्रकृति पूजा की श्रेणी रखा जा सकता है। सभी प्राकृतिक परिघटनाओं के बीच परस्पर निर्भरता के संबंध की परिकल्पना, बहुदेववाद या प्रकृति पूजन

अवतारों की चर्चा भी होती रहती है। इधर अचानक अनेक स्वयंभू भगवान भी सामने आये जो सनातन धर्म और मान्यताओं से कोई संबंध अथवा विश्वास नहीं रखते हैं। कुछ हिन्दूओं का मजारों पर जाना अथवा साई बाबा जैसे गैरहिन्दु की पूजा उपासना जैसे कृत्यों के कारण कुछ विद्वान इसकी तुलना गैरहिन्दु सम्प्रदायों के लक्षणों से करने लगे हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि आदिवासी और देशज समुदायों को अपने पैगम्बरी सम्प्रदायों से जोड़ने के प्रयास दुनिया भर में हुए। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। किसे याद न होगा कुछ वर्ष पूर्व अपनी भारत यात्रा के दौरान ईसाईयों के मुखिया पोप ने एशिया को ईसाई रंग में रंगने की ओर संकेत किया था। वास्तव में अपने संसाधनों के मायाजाल के चलते उनके लिए उन साधनहीन लोगों के बीच अपने धर्म को स्थापित करना अपेक्षाकृत आसान रहा है क्योंकि वहाँ उन्हें किसी प्रतिद्वन्द्वी धर्म सम्प्रदाय से टकराना नहीं पड़ता। विशेष रूप से भारतीय समाज इस मामले में अति उदासीन रहा है। साम्राज्यवाद के दौर से आज तक अपनी शक्ति और संसाधनों के वर्चस्व के चलते मिशनरी के ये प्रयोग बहुत कारगर रहे हैं। यह स्मरणीय है कि भारत में आदिवासी वनांचलों,

उनका पुनीत कर्तव्य है। इस्लाम आरंभ में शहर कस्बों पर केन्द्रित था। सुदूर आदिवासी अंचलों तक उनकी पहुँच नहीं बन पायी। जबकि ईसाई मिशनरीज ने दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे सेवा कार्यों के साथ अपनी धुसपैठ करते हुए काफी हद तक प्रभाव बनाया। उनके तीन-चार शताब्दियों के प्रयासों और हिन्दुओं की निष्क्रियता का परिणाम है कि पूर्वोत्तर के राज्य आज ईसाई बहुल्य हो चुके हैं। बहुल्य का अर्थ यह भी नहीं कि वहाँ मूल विश्वास वाले लोगों पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। आज भी केवल पूर्वोत्तर ही नहीं अन्य मिशनरी प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय ईसाई और गैर ईसाई धड़ों के बीच बंट गये। यह विभाजन क्रमशः सामाजिक-सांस्कृतिक दूरी का रूप लेता गया। मिशनरियों की प्रतिक्रिया में कुछ हिन्दूवादी संगठन भी अपने ढंग से उनके लोगों के बीच सेवा कार्य कर रहे हैं। बेशक उनके पास ईसाई मिशनरी जैसे अकूत संसाधन नहीं हैं लेकिन वे लोगों को उनके पूर्वजों का गौरव, उनकी मान्यताओं का स्मरण कराते हुए अपने बिछड़े हुए भाई-बहनों से फिर से मिलन के लिए प्रेरित करते हुए हैं। लेकिन विदेशी धन और समर्थन के बल पर सक्रिय तरह-तरह के षडयंत्र रचने में माहिर तत्व घर वापसी के प्रयासों

स्वामी विवेकानन्द वेदान्त के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन् १८९३ में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदान्त दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानन्द की वक्तता के कारण की पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमरीकी भाइयो एवं बहनो के साथ करने के लिये जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबको दिल जीत लिया था।

प्रारंभिक जीवन : गौड़ मोहन मुखर्जी स्ट्रीट कोलकाता स्थित स्वामी विवेकानन्द का मूल जन्मस्थान जिसका पुनरुद्धार करके अब सांस्कृतिक केन्द्र का रूप दे दिया गया है। स्वामी विवेकानन्द का जन्म १२ जनवरी सन् १८६३ (विद्वानों के अनुसार मकर संक्रान्ति संवत् १९२०) को कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्त, (नरेन्द्र के दादा) संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को २५ वर्ष की आयु में ही छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा-अर्चना में व्यतीत होता था। नरेन्द्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में मदद की। बचपन से ही नरेन्द्र अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियमपूर्वक रोज पूजा-पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देव को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन-कीर्तन भी होता रहता था।

परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेन्द्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गये। माता-पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखायी देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी-कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता-पिता आर कथावाचक पण्डितजी तक चक्कर में पड़ जाते थे। सन् १८७१ में, आठ साल की उम्र में, नरेन्द्रनाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपोलिटन संस्थान में दाखिला लिया जहां वे स्कूल गए। १८७७ में उनका परिवार रायपुर चला गया। १९७६ में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद, वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसीडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किये। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य साहित विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद्, भगवद् गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिन्दू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेन्द्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था, और ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम व खेलों में भाग लिया करते थे। नरेन्द्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टिट्यूशन (अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज) में किया १८८१ में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की, और १८८४ में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली।

सम्मेलन भाषण : आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परम्परा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ, और सभी सम्प्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिन्दुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ।

मैं इस मंच से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत-दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते वरन् समस्त धर्मों को सच्चा मान कर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वृक्ष में उन यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट को स्थान दिया था जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मन्दिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान जरथुष्ट जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाईयों मैं आप लोगों को एक

स्तोत्र की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं।

रुचीनां वैचित्त्याजुः, तिल नानापथजुषाम्।

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव॥

अर्थात् जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न-भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं उसी प्रकार हे प्रभो! भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े-मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जानेवाले लोग अन्त में तुझमें ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा, जो अभी तक

४ जुलाई पुण्यतिथि पर स्वामी विवेकानन्द



आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में ऐस एक है स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा करती है:

यू यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।

मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥

अर्थात् जो कोई मेरी ओर आता है चाहे किसी प्रकार से हो मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते

हुए अन्त में मेरी ही ओर आते हैं। साम्प्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी वीभत्स वंशधर धर्मान्धता इस सुन्दर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी हैं वे पृथ्वी को हिंसा से भारतीय रही हैं व उसको बारम्बार मानवता के रक्त से नहलाती रही हैं, सभ्यताओं को ध्वस्त करती हुई पूरे के पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही हैं। यदि ये वीभत्स दानवी शक्तियाँ न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। पर अब उनका समय आ गया है और मैं आन्तरिक रूप से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घण्टा घनि हुई है वह समस्त धर्मान्धता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो।

विवेकानन्द को योगदान तथा महत्व : उन्तालीस वर्ष के संक्षिप्त जीवनकाल में स्वामी विवेकानन्द जो काम कर गये वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेगे। तीस वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवायी। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था 'यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानन्द को पढ़िये। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पायेंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमां रोलां ने उनके बारे में कहा था—'उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असम्भव है, वे जहाँ भी गये, सर्वप्रथम ही रहे।' हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा 'शिव!' यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो।

वह केवल सन्त ही नहीं, एक महान देशभक्त वक्ता, विचारक, लेखक और मानव-प्रेम भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था—'नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भूँजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से।' और जनता ने स्वामीजी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। गान्धीजी को आजादी की लड़ाई में जो जन-समर्थन मिला, वह विवेकानन्द के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्यभूमि है। यहीं बड़े-बड़े महात्माओं व द्दषियों का जन्म हुआ, यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यहीं—केवल यही—आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिये जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वारा खुला हुआ है। उनके कथन "उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। अपने नर-जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाये।" उन्नीसवीं सदी के आखिरी वर्षों में विवेकानन्द लगभग सशस्त्र या हिंसक क्रान्ति

शेष पृष्ठ 10 पर

परमहंस श्री रामकृष्ण के दिव्य जीवन, साधना और सिद्धि का विचार मन में आते ही 'तमसः परस्तात्' अन्धकार से परे ज्योतिर्मय परमपुरुष का—'धाम्ना येन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि' (भागवत) सहज ही स्मरण हो आता है। समग्र श्रुति का सिद्धान्त है सत्य। वही चिन्मय है, आनन्द है, परमार्थ और परमधाम है। श्री रामकृष्ण परमहंस धर्म के नवरूप के प्रस्तोता कहे जा सकते

होगा, जीवन में अभिव्यक्त करना होगा। इस ओर जब ध्यान नहीं दिया जाता है, तो रुढ़िवादिता, अनुष्ठान, आडंबर, बाह्याडम्बर आदि जीवन में आ जाते हैं। यथार्थ धर्माचरण, धर्मबोध एवं उसी सूत्र को पकड़कर लोग आत्मबोध के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। 'अहं ब्रह्मास्मि'—मैं पूर्ण हूँ, मैं आत्मा हूँ। दूसरी बात है—'ईशावास्यमिदं सर्वं' अर्थात् ईश्वर सर्वव्यापक है। जो पारमार्थिक सत्य है, वह

केवल एक ही धर्म है। अनन्तकाल से केवल एक ही सनातन धर्म चला आ रहा है और सदा वही रहेगा और यही एक धर्म भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न रीति से प्रकट होता है।

स्वामी विवेकानन्द जी ने श्रीमती बुल को सन् १८६५ ई. में एक पत्र में लिखा था—'मेरे गुरुदेव (स्वामी रामकृष्ण) कहते थे कि ईसाई आदि धर्म के नाम मनुष्य-मनुष्य में भ्रातृ-प्रेम के होने

के लिए हिमालय की कन्दराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही साकार-निराकार की उपासना के चक्राकार बन्धन में फँसने की। शिव ज्ञान से जीव सेवा के द्वारा प्रत्येक मानव ईमानदारी से हर जीव को स्वयं का रूप मानकर धर्म का पालन



कर सकता है।

धर्म की सुदृढ़ता का एक प्रबल साधन त्याग भी है। परमहंस जी ने 'रूपया माटी है और माटी रूपया' कहकर यह समझाने का प्रयास किया कि आज के युग की प्रमुख व्याधि ही यह कंचन है। श्री रामकृष्ण जी धर्म के समन्वयात्मक रूप से पक्षधर थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सद्भाव एवं सहिष्णुता की बात की। वे केवल समालोचना ही नहीं करते रहे, बल्कि सभी धर्मों के प्रति अत्यन्त गवेषणात्मक एवं जिज्ञासात्मक दृष्टि के साथ यह सन्देश दिया—'जितने मत उतने पथ' और इसी सन्देश ने उन्हें विश्व मंच पर एक 'समन्वयाचार्य' के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने वास्तव में सभी मतों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके मतों पर चलकर, उनकी परीक्षा करते हुए एक ही सत्य पर पहुँचने के अनन्तर अपने अनुभव के आलोक में यह सिद्धान्त उपदिष्ट किया कि समन्वय का भाव भारतीय अध्यात्म का सनातन सत्य है। वे सर्वत्र एकत्व एवं समदर्शन की अनुभूति में प्रतिष्ठित हो गये थे। इसीलिए एक बार गंगा के घाट परपप एक मांझी द्वारा दूसरे मांझी की पीठ पर किए हुए आघात की वेदना को उन्होंने स्वयं अपनी पीठ पर महसूस किया था। स्वामी रामकृष्ण सभी मतों का समन्वय करते हुए कहते थे—'अरे, द्वेष-बुद्धि क्यों रखोगे? समझो कि वह भी एक मार्ग है, भले ही अशुद्ध क्यों न हो। घर में जाने के लिए जैसे अलग-अलग दरवाजे रहते हैं,

मुख्य-दरवाजा रहता है, खिड़की वाला दरवाजा रहता है और शौचालय साफ करने के लिए स्वच्छताकर्मी के जाने के लिए भी एक अलग रास्ता रहता है। जो जिस रास्ते से क्यों न जाये, घर के भीतर जाने पर सभी एक ही स्थान पर पहुँचते हैं। किसी के साथ द्वेष नहीं रखना है।'

श्री रामकृष्ण ने वेद और तंत्र का भी समन्वय किया है। वे साकार, निराकार, अनेक रूपरूपाय ईश्वर के लिए किसी सीमा को नहीं मानते। वे कहते हैं इन सब रूपों में मानने पर भी ईश्वर की कोई इति नहीं है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। भारतीय साधना का यह चिरन्तन भाव है। जगत् तीन काल भी नहीं है—ऐसा कहकर व्यावहारिक और पारमार्थिक दृष्टि के भेद को दुस्तर बना दिया गया है; किन्तु स्वामी रामकृष्ण ने इन दोनों में समन्वय का मार्ग खोजा। उन्होंने जागतिक वास्तविकताओं को नकारने में विश्वास नहीं किया। उनके मन में जाति, कुल, मान का कोई अभिमान नहीं था।

श्री रामकृष्ण में किसी प्रकार का कुसंस्कार या रुढ़िवादिता नहीं थी और था केवल शुद्ध-पवित्र दृष्टिकोण। उनका सन्देश था—'सहायता करो, लड़ो मत, परभाव ग्रहण न कि परभाव विनाश, समन्वय और शान्ति न कि मतभेद और कलह।' वे कहते थे—'अतीत में जितने सम्प्रदाय थे, मैं उन सबको सत्य मानकर स्वीकार करता हूँ।' यह कहने में उनका तर्क भी ध्यान देने योग्य है—'यदि कहो कि उन धर्मों में बहुत-सी गलतियाँ हैं, कुसंस्कार हैं, तो मैं कहता हूँ कि वे किस धर्म में नहीं हैं। सभी धर्मों में हैं। सभी सोचते हैं कि मेरी घड़ी ठीक चल रही है। जिसका जो भाव है, उसके उसी भाव का मैं सम्मान करता हूँ।... इसीलिए कहता हूँ कि 'यह मत कहो कि मेरा ही मार्ग सच्चा है और सब मिथ्या हैं।' इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने व्यर्थ के वाद-विवाद को दूर कर धर्मों का समन्वय भी कर दिया। वे 'भावग्राही जनार्दन' न्याय से मनुष्य की आन्तरिक भावना की ओर ध्यान देते थे। विश्व की सभी सत्ताओं के प्रति उनके हृदय में सम्यक् उदारमयी भावमुखी अवस्था थी। इस उदारता के कारण ही वे उद्घोष

शेष पृष्ठ 10 पर

परम सत्य के अन्वेषी परमहंस श्रीरामकृष्ण देव

डॉ. सुरचना त्रिवेदी

हैं; क्योंकि उन्होंने प्रत्येक धर्म के उत्तमोत्तम तत्त्वों को ग्रहण कर धर्म का एक समन्वयात्मक स्वरूप प्रदर्शित करने का कार्य किया।

धर्म का व्यावहारिक रूप भिन्न-भिन्न युगों, परिस्थितियों तथा देशकाल के अनुसार परिवर्तनशील रहा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिसकी चर्चा वेदों में बार-बार हुई यह है—'तत्त्वमसि'। तुम्हीं परम तत्त्व हो।

श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसी 'धर्म' के स्वर को ऊँचा करके कहा है—'मनुष्य माने मानहोश' अर्थात् जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो। मनुष्य का धर्म है मानव-धर्म या स्वधर्म। इस स्वधर्म को पाये बिना मनुष्य को कभी भी शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसी जागृति को लेकर श्री रामकृष्ण परमहंस मनुष्य को 'मानहोश' कहते थे।

श्रुति में जिस सत्य, धर्म का प्रतिपादन किया गया, वह अपरिवर्तनीय है किन्तु स्मृति-वचन देश, काल, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील है। श्री रामकृष्ण जी ने इसे और स्पष्ट करते हुए व्याख्या कि 'वे शुद्ध मन-बुद्धि के गोचर हैं।' 'मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नानास्तिकिञ्चन्' (कठोपनिषद् २/१/११) इस वचन को उन्होंने 'मन तेरा' होकर जब शुद्ध हो जाता है, तभी सत्य शुद्ध मन-बुद्धि के लिए गोचर हो जाता है। परमहंस जी ने 'धर्म' को तर्कों के मकड़ जाल से निकालकर उसकी सहज साधना की। उनका मानना था कि 'धर्म वही है, जो अनुभव सिद्ध हो। इसे जीवन में लाना

सर्वव्यापी है। परमहंस जी कहते हैं—सनातन धर्म के अनुसार यह महान तत्त्व जो हमें प्राप्त हुआ, उसे एक ही छलांग में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तत्त्व को अभ्यास के द्वारा जीवन में संसिद्ध करना पड़ेगा। हमारा यह ज्ञान कभी लुप्त न हो—यह हम चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? मैं आज जहाँ हूँ, वहाँ से मुझे सीढ़ी-दर-सीढ़ी आरोहण न्याय से क्रमशः धीरे-धीरे ऊपर उठना होगा। उसी के लिए ये साधन, भजन, त्याग, तपस्या आदि की बातें हैं।

जितने भी भारतीय शास्त्र हैं, उन सबमें 'एक एव सुहृद्धर्मो' (मनुस्मृति ८/१७) 'प्रभवार्थ्या भूतानां धर्म प्रवचनम् कृतम्' (महाभारत शान्ति पर्व १०६/१०) 'नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां धर्म सेतवे, वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायणमुखाच्छ्रुतम्'। (भागवत १/११/५) आदि-आदि कहकर जिस आशय को व्यक्त किया गया वही सनातन धर्म है।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विविध मत व मार्गों के द्वन्द्व को मिटाने तथा धर्म के सार्वभौमिक स्वरूप की स्थापना का कार्य किया। उन्होंने इस तथ्य का व्यापक प्रचार-प्रसार किया कि द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत एक ही अनुभव की तीन अवस्थाएँ हैं। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है—'धर्म के इतिहास में श्री रामकृष्ण ने ही यह प्रचारित किया है—'मेरा धर्म और तुम्हारा धर्म, अथवा नाना प्रकार के अलग-अलग धर्म आदि वास्तव में कभी नहीं थे। संसार में

में बहुत रुकावट डालते हैं। पहले हमें इन्हें तोड़ने का यत्न करना चाहिए।' वास्तव में परमहंस जी ने धर्म को इस रूप में वर्णित किया कि धर्म मनुष्य के हृदय का विस्तार करता है। 'द्वितीयात् वै भयं भवति।' सभी तो दो किये दे रहे हैं। वे इस बात पर पूर्णतः दृढ़ थे कि धर्म किसी को कुछ भी मान लेने को नहीं कहता, स्वयं परख लेने को कहता है। उन्होंने किसी नये धर्म की स्थापना नहीं की, अपितु उसी सत्य सनातन धर्म को, जो एकदेशीय होने के कारण शनैः-शनैः रुढ़िवादी बन गया था, नये रूप में योग-भक्ति-ज्ञान और कर्म के सर्वोच्च भावों के साथ सम्मिलित करके प्रस्तुत किया। उन्होंने कभी किसी धर्म की निन्दा नहीं की, बल्कि 'सभी धर्म सत्य हैं' इस अनुभवजन्य सत्य के प्रवक्ता बने रहे।

स्वामी रामकृष्ण जी ने धर्म का जो समन्वयात्मक रूप समाज में प्रसारित किया, उसमें उन्होंने सहजता से कहा—'देखो, मन-मुख एक करो।' यह बिल्कुल नई बात है, पर है अत्यन्त गम्भीर। वास्तव में 'मन-मुख' की एकता ही तो नहीं कर पाता मानव। कहता कुछ और करता कुछ और तथा सोचता है कुछ और। इस सिद्धान्त को उन्होंने 'भावमुखी अवस्था' कहकर सिद्ध किया। परमहंस धर्म के शिखर पर आरुढ़ हो चुके थे। उन्होंने दान, करुणा, दया सदृश भावों को एकाकार करते हुए धर्म के लिए—'शिव ज्ञान से जीव सेवा' का सिद्धान्त दिया, जिसमें मनुष्य को आत्मसाक्षात्कार



कहो गर्व से, हम हिन्दू हैं



प्रतिष्ठार्थ में,

श्रद्धेय श्री डोनाल्ड ट्रंप जी

माननीय राष्ट्रपति, यूनाइटेड स्टेट ऑफ

वाशिंगटन।

विषय : बजरंग दल व विश्व हिन्दू परिषद को अमेरिकी सी.आई.ए.

द्वारा धार्मिक आतंकवादी संगठन कहने की कटु भर्त्सना

मान्यवर महोदय,

अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी सी.आई.ए. द्वारा भारत के राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद को धार्मिक आतंकवादी संगठन कहकर सम्बोधित करने की हम कड़ी भर्त्सना करते हैं।

महोदय, बजरंग दल तथा विश्व हिन्दू परिषद जैसे संगठन विशुद्ध हिन्दुवादी संगठन हैं और कभी भी किसी आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न नहीं हैं। सी.आई.ए. का वक्तव्य देश के 900 करोड़ हिन्दुओं की आस्था पर कठुरघात है जोकि सहन नहीं किया जा सकता। साथ ही भारत-अमेरिका के निरन्तर मधुर हो रहे सम्बन्धों को खराब करने की कुटिल साजिश है। इस पत्र के माध्यम से हमारे संगठन अखिल भारत हिन्दू महासभा की जोरदार मांग है कि सी.आई.ए. अपने आधारहीन वक्तव्य पर विश्व भर के हिन्दुओं से माफी मांगे और भविष्य में बिना किसी पर्याप्त सबूत के हिन्दू संगठनों पर दोषारोपक करना बन्द करे। हमें पूर्ण आशा है कि आप हिन्दुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए सी.आई.ए. को वक्तव्य वापिस लेने व हिन्दुओं से माफी मांगने का निर्देश देंगे।

साभार

भवदीय

(चन्द्रप्रकाश कौशिक)
राष्ट्रीय अध्यक्ष

(मुन्ना कुमार शर्मा)
राष्ट्रीय महासचिव

(वीरेश त्यागी)
राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

शेष पृष्ठ 8 का स्वामी विवेकानन्द.....

के जरिये भी देश को आजाद करना चाहते थे। परन्तु उन्हें जल्द ही यह विश्वास हो गया था कि परिस्थितियों उन इरादों के लिये अभी परिपक्व नहीं हैं। इसके बाद ही विवेकानन्द ने 'एकला चलो' की नीति का पालन करते हुए एक परिग्राजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकाण्ड और रुढ़ियों की खिल्ली भी उड़ायी और लगभग आक्रमणकारी भाषा में ऐसी विसंगतियों के खिलाफ युद्ध भी किया। उनकी दृष्टि में हिन्दू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिन्तकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी ईर्ष्या का विषय है। स्वामीजी ने संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उसकी भारत को जरूरत भी है लेकिन हमें याचक नहीं बनना चाहिये। हमारे पास उससे ज्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को उसकी बेसاختा जरूरत है। यह स्वामी विवेकानन्द का अपने देश की धरोहर के लिये दम्भ या बड़बोलापन नहीं था। यह एक वेदान्ती साधु की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तटस्थ, वस्तुपरक और मूल्यगत आलोचना थी। बीसवीं सदी के इतिहास ने बाद में उसी पर मुहर लगायी। विवेकानन्द ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्याओं की प्रसिद्धि विश्व पर में है। जीवन के अन्तिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा 'एक और विवेकानन्द चाहिये, यह समझने के लिये कि इस विवेकानन्द ने अब तक क्या किया है।' उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अन्तिम दिन 8 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः दो तीन घण्टे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरन्ध्र को भेदकर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चन्दन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गयी। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का सोलह वर्ष पूर्व अन्तिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहाँ एक मन्दिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानन्द तथा उनके गुरु रामकृष्ण के सन्देशों के प्रचार के लिये 930 से अधिक केन्द्रों की स्थापना की।

शेष पृष्ठ 6 का किसान का श्रम.....

चलकर किसानों को खेती से हटाना चाहती है। वह खेती पर केवल 20 प्रतिशत किसान रखना चाहती है जो पूंजी और तकनीक का इस्तेमाल कर सके। कृषि, बीमा, बैंकिंग में एफडीआई, जी एम बीज, ठेके की खेती, आधुनिक खेती पद्धति और इजराईल खेती आदि को बढ़ावा देने की तैयारी इसीलिये की गयी है।

स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी में उत्पादन की भारतीय औसत लागत से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य देने की सिफारिश की है। लेकिन जब उत्पादन मूल्य अन्यायकारी पद्धती से निर्धारित किया जाता हो। एमएसपी की व्यवस्था उत्पादन मूल्य देने के लिए नहीं है। तब एमएसपी में थोड़ी बढ़ोतरी से किसानों को न्याय मिलना संभव नहीं है। सवाल यह भी है कि किसान को न्यूनतम क्यों मिलना चाहिये। जब चीजे इतनी स्पष्ट हैं तब कुछ किसान संगठना स्वामीनाथन आयोग की मांग क्यों कर रहे हैं यह समझ से परे है। एमएसपी की संकल्पना ही मूलतः अन्याय पूर्ण है। एमएसपी फसल का उत्पादन मूल्य नहीं है। वह लागत मूल्य की न्यूनतम गारंटी कीमत है। वह किसान को केवल यह गारंटी देती है की, अगर उसकी फसलें एमएसपी से कम रेट पर बिकती हैं तो सरकार उसकी खरीद करेगी। राज्य सरकारों द्वारा अन्यायपूर्ण तरीकों से निकाले गये उत्पादन खर्च के साथ सीएसीपी (कृषि लागत और मूल्य आयोग) मांग एवं आपूर्ति देश-विदेश में फसलों की कीमते, औद्योगिक लागत पर प्रभाव, महंगाई, खाद्य सुरक्षा, कृषि विविधता, अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति का प्रभाव इत्यादि 90 पैरामीटर के आधार पर उपज मूल्य को नियंत्रित करने के लिये और उसे बाजार मूल्य के आसपास कायम रखने के लिये एमएसपी निर्धारित करने की सिफारिश करता है। जिसके आधार पर केन्द्र सरकार एमएसपी घोषित करती है।

राज्य सरकारों की फसलों के लागत मूल्य निकालने की पद्धति भेदभावपूर्ण, अवैज्ञानिक व अन्याय पूर्ण है। जिसमें आगत मूल्य, किसान के परिश्रम मूल्य, काम के दिन तथा बाजार मूल्य व न्यूनतम मजदूरी दरों संबंधित कानून का उल्लंघन करके वास्तविकता से कम, भेदभावपूर्ण आंका जाता है। बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, परिवहन आदि में लागत खर्च बहुत कम आंका जाता है। जिसमें किसानों को फसलों की लाभकारी कीमत मिलना तो संभव ही नहीं, मेहनत का उचित मूल्य मिलने की भी व्यवस्था नहीं है। एक अध्ययन के अनुसार एमएसपी वास्तविक लागत खर्च के एक तिहाई के आसपास होती है। केन्द्र सरकार हर साल 23 फसलों की एमएसपी घोषित करती है। लेकिन केवल पांच फसलें धान, गेहूँ, कपास, गन्ना और सबर मर्यादित मात्रा में खरीदती है। विशेष परिस्थिति में किसी राज्य में खाद फसल खरीदी जाती है। सरकार द्वारा खरीफ के केवल 6 प्रतिशत किसान कवर होते हैं। कुल कृषि उत्पादन का लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा सरकारें खरीद पाती है। याने की देश के 68 प्रतिशत किसानों का 68 प्रतिशत कृषि उत्पादन दलालों के भरोसे बिकता है। सैंकड़ों फसलों की न तो एमएसपी घोषित होती है नाही उसकी खरीद की कोई योजना है।

हमे देश में एक ऐसी नयी व्यवस्था बनानी होगी जिसके द्वारा संगठित-असंगठित भेद किये बिना एक देश एक श्रममूल्य मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। देश में सबके लिए न्याय व समता के आधार पर मापदंड निर्धारित होने चाहिए। किसान को कुशल श्रम के लिये श्रममूल्य सुनिश्चित करना चाहिए। यह श्रममूल्य समकालीन वेतन आयोग द्वारा निर्धारित कर्मचारियों को दिये जा रहे अधिकतम श्रममूल्य के 90 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त किसान को प्रबंधन, व्यवस्थापन और फसलों की सुरक्षा आदि कार्य के लिये श्रम मूल्य तथा एक उत्पादक की आमदनी जोड़कर निर्धारित किया गया फसल का उत्पादन मूल्य मिलना चाहिए। सरकारी खरीद में या खुले बाजार में उसे फसल का मूल्य नहीं मिल रहा हो ऐसी स्थिति में उचित श्रममूल्य बाजार मूल्य में प्राप्त श्रममूल्य की अंतर राशी नुकसान भरपाई के रूप में किसान को मिले ऐसी व्यवस्था बनानी होगी। किसान का शोषण हमें मंजूर नहीं। किसान को भीख नहीं अपना हक चाहिये।

शेष पृष्ठ 9 का परम सत्य के अन्वेषी.....

करते हुए कहते हैं— 'पोखर के रुके हुए और उथले पानी में ही शाक-पात पनपता है; परन्तु नदी के बहते हुए और गहरे पानी में शाक-पात नहीं होता। संकीर्णता से ही सम्प्रदाय का गठन होता है। उदारबुद्धि वाला सम्प्रदायवाद में नहीं फँसता।

शेष पृष्ठ 1 का 70 सालों में संयुक्त राष्ट्र.....

की। 2097 में संयुक्त राष्ट्र के किसी भी शांतिरक्षक अभियान में भारत के किसी भी शांतिरक्षक को जान नहीं गंवानी पड़ी। 2096 में दो शांतिरक्षक राइफलमैन बृजेश थापा और रवि कुमार को ड्यूटी के दौरान जान गंवानी पड़ी थी। थापा जहां यूएन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ द कांगो में तैनात थे, वहीं रवि कुमार यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान में तैनात थे। इन्हें मरणोपरांत डैंग हैमरस्जोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था।

हिन्दुत्व विज्ञान की आध्यात्मिक व्याख्या है

शेष पृष्ठ 7 का धर्मान्तरण: कारण, भ्रम....

भी हिन्दू नाई से मुस्लिम नाई अथवा हिन्दु धोबी से मुस्लिम धोबी आदि होने के अतिरिक्त उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ईसाई संस्थाओं का नियंत्रण एंग्लो-इंडियन लोगों के हाथ में है जबकि ईसाई बने दलित और आदिवासी वहाँ अधीनस्थ स्थिति में हैं। इधर उन्होंने अपने असंतोष को संगठित करना शुरू किया है और यह अन्तर्भेद तीव्र होता जा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय परम्परा के सिख सम्प्रदाय श्रेष्ठ होते हुए भी जाति से मुक्ति न हो सका। बाबा साहिब अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया। वहाँ वे बौद्ध की बजाय 'नव बौद्ध' कहलाये। यह अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जाति की पहचान है। अतः कहा जा सकता है कि कोई भी सम्प्रदाय जाति, वर्ग भेद से व्यवहारिक और वास्तविक रूप से मुक्त नहीं पाया है। अतः धर्मान्तरण की घोषित अवधारणा प्रथम चरण में ही खण्डित हो जाती है। यदि हम इस विषय पर गंभीरता से अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं जिनपर जाति या धर्म के आधार पर नहीं, समानता की सोच के आधार पर विचार करते हुए सही समाधान तलाशे जाने की आवश्यकता है। जिस तरह नगरों, महानगरों में श्रमिक की, गांव में किसान की समस्याएं जोर शोर से उठाई जाती हैं आदिवासियों के जीवन से जुड़े मुद्दों पर भी चिंतन होना चाहिए। उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता कायम रहनी चाहिए। न कि उन्हें किसी एक खास विदेशी धर्म समुदाय के झंडे तले लाया जाये। ऐसा करना न केवल अस्वाभाविक और विस्फोटक होगा बल्कि मूल समस्याओं से भटकाने वाला होगा। अतः भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि धर्मान्तरण के लिए सक्रिय विदेशी तत्वों को तत्काल निकाल बाहर करें। धर्मान्तरण पर रोक लगाई जाये ताकि देश में अनावश्यक रूप से जारी छद्म विवादों का अन्त हो सके। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि देश में धार्मिक वातावरण को बिगाड़ने अर्थात् धर्मान्तरण को बढ़ावा देने में तथाकथित 'सेकुलरों' का बहुत बड़ा योगदान है। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर तुष्टीकरण की विभाजक नीति ने ही ऐसे लोगों के इरादों को गति प्रदान की। इसी प्रकार 'लव जेहाद' की जांच भी आवश्यक है। एक धर्म विशेष में तेजी से बढ़ते प्रेम विवाह यदि कुछ संकेत हैं तो उसे समझना होगा। ऐसे वैवाहिक संबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें किसी एक सम्प्रदाय के विधि विधान से नहीं बल्कि विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत कानून पंजीकृत कराने का अनिवार्य प्रावधान किया जाये। प्रेम करने वालों पर उनके स्वजनों द्वारा विवाह न करने के लिए दबाव बनाया जाना गैरकानूनी माना जाता है तो प्रेम विवाह के बाद धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना गैरकानूनी क्यों नहीं होना चाहिए? सेवा कार्यों की आड़ में धर्मान्तरण आस्थाओं का व्यापार है। अतः सभी प्रबुद्धजनों को समाज और सरकार पर देश की संस्कृति की रक्षा तथा समाज में स्थायी शांति और सदभावना के लिए धर्मान्तरण पर रोक का दबाव बनाना चाहिए।

:- तत्काल ग्राहक बर्ने :-

सदस्यता शुल्क

वार्षिक.....	150/- रुपये
द्विवार्षिक.....	300/- रुपये
आजीवन सदस्य.....	1500/- रुपये

ड्राफ्ट या मनीआर्डर

"हिन्दू सभा वार्ता" के नाम भेजें।

पता :- हिन्दू महासभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली-110001

नोट :- केवल स्थानीय बैंक स्वीकार किये जाते हैं।

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता

विशेषतायें जो अन्यत्र नहीं मिलतीं

1. पत्रकारिता के उच्च राष्ट्रनिष्ठ मानकों के लिए प्रतिबद्धता
2. राष्ट्र और हिन्दुत्व को हानि पहुँचाने वाले कारकों पर पैनी दृष्टि
3. साम्प्रदायिक और पृथक्तावादी सोच पर जमकर प्रहार
4. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पारदर्शी चर्चा
5. सामाजिक सरोकारों की तह तक जाकर समाधानपरक बहस
6. प्रेरक प्रसंग, महान् व्यक्तियों से प्रेरणा लेने का माध्यम
7. भ्रष्टाचार, अपराध और अन्तर्राष्ट्रीय चिंतन पर तीखा आक्रमण

हमारा संकल्प

1. हम एक ऐसी समतामूलक राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्षधर हैं जहाँ निर्धनता का अभिशाप न हो, किसी का शोषण न हो, न्याय वनपशुओं की चेरी न बने, सब समान हों, एक दूसरे के सहयोगी हों।
2. हम एक ऐसी संस्कृतिक व्यवस्था के पक्षधर हैं जिसमें हिन्दुत्व के सार्वभौमिक और सार्वकालिक सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया जा सके, जिससे कि हिंसा, पाप, शोषण, विषमता और संवेदनहीनता की कालिमा से विश्व को मुक्ति मिले।

केवल इतना ही नहीं, अन्य भी बहुत सी जीवनोपयोगी सामग्री।

आपका साप्ताहिक, आपकी भावनाओं का दर्पण।

शेष पृष्ठ 5 का नारी के नजरिए से पर्यावरण.....

से उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं की भूमिका अग्रणीय रही है क्योंकि महिलाएँ साफ-सफाई पर जितना अधिक ध्यान देती हैं या करती हैं वो सर्वविदित है। महिलाएँ प्रारम्भ से ही अपनी संतान को संस्कारवान बनाती हैं, उन्हें प्रकृति से जुड़ना सिखलाती हैं क्योंकि दैनिक जीवनचर्या में प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग/उपभोग सर्वथा बना रहता है, क्योंकि येही मानव की जीवन संगिनी के रूप में कार्य करती है। ऐसे में महिलाओं का कर्तव्य बनता है कि वे गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करें। जैसे-

❖ महिलाओं के लिए रसोई एक रचनात्मक प्रयोग होता है, वो बायोगैस का प्रयोग करके, लकड़ी की बचत के साथ-साथ धुएँ से भी पर्यावरण संरक्षण कर सकती हैं।

❖ गाँव में गोबर की उपलब्धता होने से, उसके उपलों से ईंधन का प्रयोग कर सकती हैं।

❖ ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े-कचरे को गली-गलियारों में न फेंक कर, उससे खाद बना सकती हैं।

❖ प्लास्टिक/पॉलिथीन के स्थान पर कपड़ा, जूट या अन्य कपड़े के थैले प्रयोग कर सकती हैं।

❖ वहीं शहरी महिलाएँ जिनके पास सुख-सुविधा व शिक्षा के माध्यम होते हैं फिर भी वे 'प्रयोग करो और फेंक दो' की संस्कृति से मुक्त नहीं हो पा रही हैं। ऐसी महिलाओं को कचरा निपटान में अपनी इच्छाशक्ति व रचनात्मक तरीके से,कार्य करते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपनी विशेष भूमिका निभानी चाहिए व शिक्षा के माध्यम से जागरूकता भी फैलानी चाहिए।

❖ महिलाओं को अपने घर व सामाजिक संस्था के अंतर्गत सदाबहार वृक्षों का रोपण करना व करवाना चाहिए, कागज का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए क्योंकि इसके निर्माण में लकड़ी का प्रयोग होता है।

❖ मौसमी फल व सब्जियों का प्रयोग करना, बोतल बंद पानी के प्रयोग पर जागरूकता, सब्जियों, फलों के छिलकों से खाद तैयार करना, बिजली से चलने वाले उपकरण आवश्यकतानुसार ही प्रयोग करना क्योंकि ये ई-कचरे में वृद्धि करके पर्यावरण को हानि पहुँचाते हैं।

❖ घर के कीड़े-मकौड़ों को मारने हेतु रसायन युक्त पदार्थों के स्थान पर हर्बल पदार्थों का प्रयोग करें, सौर ऊर्जा का प्रयोग करना, बिल आदि का भुगतान ऑनलाइन करना, कागज दोनों ओर से प्रयोग करना चाहिए।

❖ जल का संरक्षण व गुणवत्ता दोनों ही पहले घर से ठीक रखें व बच्चों को जल का प्रयोग ठीक प्रकार करना सिखायें। पर्यावरण संरक्षण में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण पर भी ध्यान दें।

❖ पशु-पक्षियों को बचाएँ कि उनके बाल, त्वचा व अन्य अंगों से निर्मित सामान व खरीदें व महिलाएँ संतान के जन्म का भेदभाव मिटाकर, जनसंख्या विस्फोट से पर्यावरण को संरक्षित करें आदि।

पर्यावरण के संरक्षण में वैसे तो सभी वर्गों की पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का सृजन ही नहीं किया जा सकता, उन्हें बढ़ाना तो सर्वथा असंभव है। वे उनका अंधाधुंध उपयोग करके आधुनिक औद्योगिक समाज ऐसा व्यवसाय चला रहा है जो अपनी जमा पूंजी को खाए जा रहा है क्योंकि धरती किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है, यह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिली, बल्कि यह हमारे पास भावी पीढ़ियों की धरोहर है। वस्तुतः प्रदूषित वातावरण/पर्यावरण का प्रभाव सबसे अधिक महिलाओं पर ही पड़ता है क्योंकि वो इसके प्रत्येक रूप-स्वरूप व प्रयोग से अधिक जुड़ी हुई होती है। ऐसे में पर्यावरण का संरक्षण भी महिलाओं की ही जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है महिलाओं को जागरूक होने की, जैसे वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहती हैं उसी प्रकार उन्हें पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण व सार्थक भूमिका निभानी चाहिए।

शेष पृष्ठ 1 का पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने...

स्ट्राइक के बाद पहली बार हुई है। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना हाथ बांधकर नहीं बैठी है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि कश्मीर में संघर्ष विराम नहीं बल्कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन कुछ समय के लिए कार्रवाई रोक देना है। राजनाथ सिंह ने कहा यह युद्ध विराम नहीं बल्कि रमजान को देखते हुए सेना ने ऑपरेशन रोक दिया था। लेकिन किसी भी आतंकी हमले पर हम ऑपरेशन दोबारा शुरू करेंगे। हमने अपने सुरक्षाबलों के हाथ नहीं बांध रखे हैं। सुरक्षाबलों ने बीते दिनों हमला होने पर ५ आतंकियों को मार गिराया है।

यह भी सच है

राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को क्षति

अनेक वर्षों से विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों से यह ज्ञात होता रहता है कि अधिकांश नबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है। अनेक अवसरों पर एक विशेष समुदाय के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही ऐसे दुष्कर्मों में व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से लिप्त पाये जाते हैं। ऐसे दुष्कर्मों में पीड़ित बालिकाएं या युवतियां या महिलाएं सामान्यतः आरोपियों से भिन्न समाज से होती हैं। साधारणतः ऐसी घटनाएं एक ही नगर में व आस पास रहने वाले परिवारों में अधिक होती हैं।

कुछ समाचार ऐसे भी आते हैं कि विशेष समुदाय के कुछ दुष्चरित्र व्यक्ति अपनी हवस का शिकार बनाने के लिये अपने पारिवारिक सदस्यों जैसे सौतेली बेटी, भतीजी, भांजी व चचेरी, ममेरी, फुफेरी आदि बहनों का भी शोषण करने में कोई संकोच नहीं करते। इसके अतिरिक्त आप केवल पिछले 5-वर्षों के समाचार पत्र देखेंगे तो अनेक ऐसे जघन्य बलात्कारी मिलेंगे जिन्होंने दुष्कर्म करके पीड़िता को मारने में भी कोई संकोच नहीं किया। प्रायः इन अत्याचारों के समाचारों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि इनसे उन तत्वों को कोई अधिक लाभ नहीं होता जो शासन के विरुद्ध वातावरण बना कर राष्ट्रीय एकता व अखंडता को प्रभावित कर सकें?

इसीलिए आज यह विषय और अधिक गंभीर हो गया है क्योंकि कठुआ (जम्मू) में एक नाबालिग बालिका (आसिफा) की दुष्कर्म करके हत्या करने के जनवरी माह के समाचार को तीन माह बाद सनसनी बना कर देश ही नहीं विदेशों में भी धार्मिक रंग देकर भारत की छवि को खराब करने का सुनियोजित षडयंत्र किया जा रहा है। ऐसा करने के लिये अनेक अफजल प्रेमी, भारत के टुकड़े-टुकड़े करने, पाकिस्तानी झंडा फहराने, भारत को खुरासान बनाने व विदेशी धन पर चलने वाले गैंग सक्रिय हो गये हैं। जबकि 29 अप्रैल को दिल्ली की एक नाबालिग लड़की (गीता) का अपहरण करके उससे पास ही गाजियाबाद के अर्थला स्थित एक मदरसे में कई बार सामूहिक दुष्कर्म की वीभत्स घटना पर षडयंत्रकारियों का मौन रहना उनकी दूषित मानसिकता का परिचय कराती है। कठुआ कांड की पीड़ित नाबालिग एक मुस्लिम है तो इन विभिन्न गैंगों के सूत्रधारों ने देश-विदेश में झूठ के सहारे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने के लिये इस घटना को बढ़ा-चढ़ा कर प्रचारित किया गया। परंतु 29-22 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घटी एक नाबालिग हिन्दू लड़की के उत्पीड़न की घटना के प्रति ऐसे तत्वों की उदासीनता उनकी निष्पक्ष सामाजिक सतर्कता व राष्ट्रभक्ति को संदेहजनक बनाती है। इन दोनों प्रकरणों में पीड़िता अलग अलग सम्प्रदाय से संबंधित हैं और पुलिस प्रशासन ने अपनी जांच के अनुसार इन घटनाओं में कुछ तथाकथित दोषियों को बंदी बनाया है। इस प्रकार बंदी बनाये जाने के कारण दोनों क्षेत्रों के कुछ लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लेकिन कानून के समक्ष सब एक समान है। अतः जब विशेष न्यूज चैनलों के जुझारू पत्रकारों के सहयोग से इन कांडों की सच्चाई सामने आयेगी तो इनमें लिप्त षडयंत्रकारियों व अपराधियों पर कानून के अंतर्गत कड़ी से कड़ी कार्यवाही अवश्य होगी।

फिर भी यह सोचना आवश्यक है कि बालिकाओं के साथ हुआ ऐसा निंदनीय कार्य क्या देश में पहली बार हुआ है? जब वर्षों से हो रहे ऐसे निंदनीय अपराधों की गिनती भी नहीं की जा सकती तो कठुआ कांड में एक विशेष समुदाय की पीड़िता पर अन्य समुदाय के लोगों को तथाकथित दोषी बना कर मीडिया द्वारा ऐसे विवादाग्रस्त अपराध को ब्रेकिंग न्यूज बना कर क्यों इतना अधिक महत्व देकर प्रचारित किया गया? क्या इस कांड के विरोध में हो रहे प्रदर्शन, कैंडल मार्च व अन्य आंदोलनों में सम्मिलित होने वाले अधिकांश युवावर्ग को इसकी सच्चाई का कोई ज्ञान है? केवल कुछ भटके हुए तत्वों का समूह ऐसे नकारात्मक विवादित विषयों पर सक्रिय होकर राष्ट्र की छवि को धूमिल करने वाली देशी-विदेशी शक्तियों के षडयंत्रों का शिकार बन रहे हैं। कुछ बेरोजगार व आधुनिक जीवन शैली अपनाने वाले धन के लोभ में ऐसे नकारात्मक आंदोलनों से अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अतः ऐसे आंदोलनकारी, जो झूठ के आधार पर देश के वातावरण को दूषित करके व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को अपमानजनक स्थिति का सामना करने को विवश करते हो, को संज्ञान में अवश्य लेना चाहिए। प्रायः लोकतांत्रिक अधिकारों में राष्ट्रीय अस्मिता पर आघात करने का दुःसाहस करने की किसी भी नागरिक को अनुमति नहीं है फिर भी ऐसा होता आ रहा है जो बहुत दुःखद है।

विनोद कुमार सर्वोदय

कबिरा खड़ा बजार में

केवल नारों से ही चल रहा है काम



मोदी सरकार के चार साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान देश में बहुत कुछ बदला लोगों की सोच, नजरिया, राजनीति के तौर-तरीके यहां तक कि भाजपा का नारा भी। अच्छे दिन आने वाले हैं, भाजपा के चुनाव प्रचार का प्रस्थान बिंदु था। जो बाद में कई नारों से होता हुआ, सबका साथ, सबका विकास तक पहुंचा। पहले साल से ही जनता ने पूछना शुरू कर दिया था कि नरेन्द्र मोदी सबको साथ लेकर कहां चल पा रहे हैं। सबका विकास कहाँ हो रहा है। सवाल का दायरा बढ़ता रहा और जनता के बीच वर्ग भेद भी। यह जाति, धर्म, वर्ण के भेद से ऊपर मोदी समर्थक और मोदी विरोधी लोगों का वर्ग भेद था। इससे पहले देश में शायद ही कभी आमजन के बीच राजनीति के कारण विभाजन की इतनी गहरी रेखा बनी हो। अब तो जो मोदीजी का साथ देते हैं, वह देशभक्त हैं, जो विरोध की आवाज उठाते हैं वे देशद्रोही हैं। सबके साथ की बात करने वाली भाजपा के राज में जनता ही साथ नहीं रही। 8 साल बाद भाजपा ने नया नारा दिया है, साफ नीयत, सही विकास। यह समझना कठिन नहीं है कि मोदीजी को नए नारे की जरूरत क्यों पड़ी। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं और फिर आम चुनावों की तैयारी शुरू हो जाएगी। 2018 में ही मोदीजी ने 2025 में ये होगा, वो होगा, जैसी बातें करना शुरू कर दी थीं। यानी अंगद के पांव की तरह दिल्ली में जमे रहना चाहते हैं। तानाशाही में तो ऐसा हो सकता है, लोकतंत्र में यह संभव नहीं है। मोदीजी को भी पता है कि पांच साल बीतने के बाद उन्हें फिर जनता के बीच जाना होगा और पिछले कार्यकाल का हिसाब भी देना होगा। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उनमें भाजपा का प्रदर्शन देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि जनता को अच्छे दिनों का अहसास हुआ हो। इसलिए अब उसे यह अहसास कराया जा रहा है कि सरकार की नीयत साफ है और विकास भी सही हो रहा है। बदलता जीवन, संवरता कल, तरक्की की रफ्तार, पिछड़े वर्गों की सरकार, किसानों की संपन्नता हमारी प्राथमिकता, तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार पर लगातार पारदर्शी हर काम, अच्छा स्वास्थ्य अब सबका अधिकार, विकास की नई गति, नए आयाम, नारी शक्ति देश की तरक्की और दुनिया देख रही है एक न्यू इंडिया, ये कुछ नए जुमले हैं जो सरकार की सही नीयत बतलाने के लिए गढ़े गए हैं। इन जुमलों को लेकर अब भाजपा के पदाधिकारी देश भर में सरकार का प्रचार करेंगे। सवाल ये है कि अगर विकास सही में होता, तो नए सिरे से जुमलों को गढ़ने की जरूरत क्यों होती। 2014 में जब भाजपा नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचार कर रही थी तब उन्हें किसी अवतार की तरह पेश किया गया था कि उनके आते ही अच्छे दिन आ जाएंगे। बहुत से वादे किए थे, जैसे विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे, सबके खाते में 95-95 लाख जमा होंगे। हर साल दो करोड़ नौकरियों मिलेंगी। पेट्रोल के दाम कम करेंगे। महंगाई कम होगी और विकास दर बढ़कर 90 फीसदी तक हो जाएगी। किसानों और खेती की दशा सुधारी जाएगी। भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा। बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। और न जाने क्या-क्या, वादों की फेरिस्त लंबी-चोड़ी है, जिन्हें एक जगह समेटना कठिन है।

वीरेश त्यागी

E-mail : viresh.tvagi@akhilbharathindumahasabha.org

नई दिल्ली पी.एस.ओ. में पोस्ट की गई डाक पंजीकरण संख्या D.L. (N.D.)-11/6129/2016-17-18

प्राप्तेषु



साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता

दिनांक 27 जून से 03 जुलाई 2018 तक

रजि सं. 29007/77

स्वत्वाधिकारी अखिल भारत हिन्दू महासभा के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मुन्ना कुमार शर्मा द्वारा स्कैन 'एन' प्रिन्ट, 115, कीर्ति नगर इन्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली मुद्रित तथा हिन्दू महासभा भवन, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित। दूरभाष 011-23365138, 011-23365354
E-mail : akhilbharat_hindumahasabha@yahoo.com, editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org

सम्पादक : मुन्ना कुमार शर्मा, प्रबंध सम्पादक : वीरेश कुमार त्यागी

इस पत्र में प्रकाशित लेख व समाचारों की सहभागिता, संपादक-प्रकाशक की नहीं है। सम्पूर्ण विवादों का न्यायिक क्षेत्र नई दिल्ली है।